

इज्जतनगर स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम

(छोटी लाइन/बड़ी लाइन)

संख्या : इज्जतनगर/44

जारी तिथि :10.9.2012

लागू तिथि :18.9.2012

पुनरीक्षण तिथि **Sept-2017**

“बी” श्रेणी, इकहरी लाइन अर्न्तपाशित, मानक-III छोटी/बड़ी लाइन बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाला (MACL) सिगनलों सहित ।

पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

(सामान्य एवं सहायक नियम 8.01 (1),(क),(ग), 2(ख), 8.03 (क) (ख) (ग) (II), 8.09, 8.10, 8.12, तथा 8.13 देखें)

टिप्पणी – I) संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/44 दिनांक 6.11.2008 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा ।

II) इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू सामान्य एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति स्टेशन प्रबन्धक कार्यालय में हर समय उपलब्ध रहेगी पढा जाना चाहिये ।

ये नियम किसी भी परिस्थिति में सामान्य एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते ।

1. स्टेशन संचालन नियम आरेख

सी0एस0टी0ई0/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर की एस0आई0पी0 संख्या NER/IZN/SIP/2012/VER-ZERO/5 Alt “B” पर आधारित इस स्टेशन का नियम आरेख संख्या 9 दिनांक 10.4.2012 Alt ‘A’ दिनांक 3.8.12 संलग्न है जिसमे काटों सिगनलों तथा लाइनों की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित कांटों तथा लाइनों की संख्या उल्लेख करना आवश्यक है।

2. स्टेशन का विवरण –

2.1 सामान्य स्थिति –

इज्जतनगर स्टेशन बरेली जं०-मैलानी जं० खण्ड पर इकहरी बड़ी एवं छोटी लाइन पर ‘बी’ श्रेणी का स्टेशन है तथा बरेली जं० से 7.24 किमी० तथा मैलानी जं० से 118.28 किमी० की दूरी पर स्थित है।

2.2 दोनो ओर के ब्लाक स्टेशन, आई0बी0एच0, आई0बी0एस0 तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगे –

बरेली सिटी एम0जी0 एवं बी0जी0 (दक्षिण दिशा में) : 4.83 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

दोहना एम0जी0 (उत्तर दिशा में) : 7.64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

भोजीपुरा जं० बी0जी0 (उत्तर दिशा में) : 9.65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

(i) आई0बी0एच0, आई0बी0एस0 की स्थिति

इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई0बी0एच0, आई0बी0एस0 स्थित नहीं है।

(ii) बाहरी साइडिंगे :- कोई नहीं।

(अतुल सिंह)

मसिदूइ/इज्जतनगर

(बालक राम)

मसिदूई/नि/लखनऊ

(के0एस0सोनाल)

मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

- (iii) **हाल्ट स्टेशन :- दोहना हाल्ट, इज्जतनगर – भोजीपुरा के मध्य बी0जी0 खण्ड पर इस स्टेशन से 7.64 किमी0 की दूरी पर स्थित है।**

2.6 स्टेशन के दोनों ओर के ब्लाक खण्ड : –

स्टेशनों के बीच	वह स्थान जहां से ब्लाक खण्ड शुरू होता है।	वह स्थान जहाँ "ब्लाक खण्ड" समाप्त होता है।
एम0जी0 खण्ड		
इज्जतनगर–बरेली सिटी	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल इज्जतनगर	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल बरेली सिटी
इज्जतनगर–दोहना	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या इज्जतनगर	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल दोहना
बी0जी0खण्ड		
इज्जतनगर–बरेली सिटी	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल इज्जतनगर	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल बरेली सिटी
इज्जतनगर–भोजीपुरा	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल इज्जतनगर	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल भोजीपुरा ।

- 2.4 **ढलान यदि कोई हो – कोई नहीं।**

2.6 अभिन्यास –

अभिन्यास 5 बी0जी0 तथा 6 एम0जी0 लाइनों का है। बी0जी0 लाइन संख्या 1 एवं 2 रनिंग लाइन तथा लाइन संख्या 3 नान–रनिंग लाइन है। एम0जी0 लाइन सं0 2, 3, 4, एवं 5 रनिंग लाइन तथा लाइन सं0 1 एवं 6 नान–रनिंग लाइन है। बी0जी0 लाइन संख्या 3 इंजी0 साइडिंग एवं 4 व 5 वर्कशाप साइडिंग तथा एम0जी लाइन संख्या 6 इन्सपैक्शन कैरेज साइडिंग है।

2.5 रनिंग लाइनें तथा उनकी स्प ट धारक लम्बाई (CSR) मीटर में :-

(क) **छोटी लाइन –**

रनिंग लाइन संख्या	स्पष्ट धारक लम्बाई (CSR) मीटर मे	टिप्पणी
छोटी लाइन		
लाइन संख्या 2	653.79 मीटर	प्लेटफार्म लाइन
लाइन संख्या 3	707.04 मीटर	प्लेटफार्म लाइन
लाइन संख्या 4	650.00 मीटर	लूप लाइन
लाइन संख्या 5	530.00 मीटर	गुड्स लाइन
बड़ी लाइन		
लाइन संख्या 1	720.00 मीटर	प्लेटफार्म लाइन
लाइन संख्या 2	720.00 मीटर	प्लेटफार्म लाइन

- (ख) इस स्टेशन पर एम0जी0 लाइन संख्या 3 तथा बी0जी0 लाइन संख्या 1 सीधी लाइन है।

(अतुल सिंह)
मसिदूइ/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूइ/नि/लखनऊ

(के0एस0सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

- (ग) **एम0जी0** परिचालित लाइन संख्या 2, 3 या गुड्स लाइन 4, 5 से / को दोहना एवं बरेली सिटी के लिये अप अथवा डाउन गाडियाँ ली / भेजी जा सकती है ।
- (घ) **बी0जी0** परिचालित लाइन संख्या 1 एवं 2 से / को भोजीपुरा एवं बरेली सिटी के लिये अप अथवा डाउन गाडियाँ ली / भेजी जा सकती है ।

2.5.2 नान-रनिंग लाइने तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई (CSR) मीटर में –

(क)

नान-रनिंग लाइन संख्या	विवरण	स्पष्ट धारक लम्बाई (CSR) मीटर में	टिप्पणी
छोटी लाइन			
लाइन संख्या 1	मालगोदाम लाइन	706.33 मीटर	कॉटा संख्या 218 तथा 215 द्वारा रनिंग लाइन सं0 2 से अलगाव
लाइन संख्या 6	निरीक्षण यान साइडिंग लाइन	120.00 मीटर	नान-रनिंग लाइन संख्या 1 से निकली है
बड़ी लाइन			
लाइन संख्या 3	इंजीनियरिंग साइडिंग	686.00 मीटर	लाइन संख्या 2 से निकली है
लाइन संख्या 4	वर्कशाप साइडिंग	686.00 मीटर	वर्कशाप के अधिकार क्षेत्र में
लाइन संख्या 5	वर्कशाप साइडिंग	686.00 मीटर	वर्कशाप के अधिकार क्षेत्र में

2.5.3 अभिन्यास में कोई विशेष बातें :-

स्टेशन यार्ड में निम्नलिखित एम0जी0/बी0जी0 डायमण्ड कॉटे / डायमण्ड कासिंग प्रदत्त है –

- 1 बरेली सिटी की ओर ट्रैफिक गेट सं0 243/Spl के आगे डायमण्ड कासिंग **207 DT**
- 2 दोहना की ओर डीजल शेड के लिये डायमण्ड कॉटा संख्या 201-201X
- 3 दोहना की ओर ट्रैफिक गेट सं0 240/C के पहले डायमण्ड कॉटा संख्या **210-210X**

2.6 समपार फाटक :-

स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार की श्रेणी, स्थिति, एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण निम्न है –

गेट सं0	श्रेणी	स्थिति	सामान्य दशा	संचालन उत्तरदायी कर्मचारी	अन्तर्पाशित है या नहीं	संचार	गाड़ी चालित चेतावनी घण्टी
परिचालन समपार फाटक							
242	स्पेशल	अप प्रस्थान सिगनल और कॉटा संख्या 215ए के मध्य किमी0 312/1-2	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत गेटमैन	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
243	स्पेशल	डाउन एडवॉस स्टार्टर एवं कॉटा संख्या 219 बी के मध्य किमी0 313/0-1	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत गेटमैन	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के0एस0सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

240	सी	बी0जी0 कौटा स0 203 तथा अप इन्टरमीडियेट स्टार्टर सिगनल एम0जी0 /बी0जी0 के मध्य किमी0 311/5-6	सडक यातायात हेतु खुला	कार्यरत गेटमैन	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
237	बी 2	डाउन होम तथा अप इन्टरमीडियेट स्टार्टर सिगनल एम0जी0 / बी0जी0 के मध्य किमी0 310/9-311/0	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत गेटमैन	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
इंजीनियरिंग समपार फाटक							
236ए	सी	इज्जतनगर-दोहना के मध्य किमी0 310/1-2	सडक यातायात हेतु बन्द	कार्यरत गेटमैन	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
236बी	सी	इज्जतनगर-दोहना के मध्य किमी0 309/7-8	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत गेटमैन	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
236	बी 1	इज्जतनगर-दोहना के मध्य किमी0 309/2-3	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत गेटमैन	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
CBJ 1A	सी	इज्जतनगर- CBJ के मध्य किमी0 0/10-11	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत गेटमैन	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
बी0जी0 मूवमेन्ट के लिये इंजीनियरिंग गेट							
232	सी	इज्जतनगर - भोजीपुरा के मध्य किमी0 305/1-2	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत गेटमैन	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
233	बी	इज्जतनगर - दोहना / भोजीपुरा के मध्य किमी0 306/6-7	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत गेटमैन	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
234	सी	इज्जतनगर- दोहना / भोजीपुरा के मध्य किमी0 307/3-4	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत गेटमैन	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं

(iii) समपार फाटकों के संचालन से संबंधित विस्तृत अनुदेशों के लिये परिशिष्ट "क" से "क-X" देखें।

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के0एस0सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

3. संचालन की पद्धति एवं साधन –

अगल-बगल के ब्लाक स्टेशनों से बी0 जी0 एवं एम0 जी0 इकहरी लाइन पर पूर्ण ब्लाक पद्धति कार्य प्रणाली एवं लागू है।

क्रम संख्या	प्रदत्त ब्लाक यंत्र के प्रकार	सहकारी/असहकारी	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	चाभियों के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	टिप्पणी
(क)	बी0जी0 खण्ड				
	टेलीफोन युक्त डायडो टाइप टोकेनलैस ब्लाक यंत्र एक्सल काउन्टर के साथ बरेली सिटी तथा भोजीपुरा स्टेशनों के साथ अलग-अलग सम्बद्ध	सहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	---
(ख)	एम0जी0 खण्ड				
	टेलीफोन युक्त पुश बटन टाइप टोकेनलैस ब्लाक यंत्र दोहना तथा कन्टीन्यूअस ट्रैक सर्किट बरेली सिटी स्टेशनों के साथ अलग-अलग सम्बद्ध	असहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	---

(सहायक नियम 14.01 (क), 14.02, 14.04, से 14.08(ख), 14.10, 14.11 14.12 एवं पूर्वोत्तर रेलवे की सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" देखें) ।

टिप्पणी –कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य कोई नहीं अपितु वह स्वयं ही ब्लाक यंत्रों को संचालित करता है।

(सहायक नियम 14.02 (V) एवं सामान्य नियम 14-03 एवं सामान्य तथा सहायक नियम 14-04 देखें)

4. संकेतन एवं अन्तर्पाशन की पद्धति :-4.1 विशेष संकेतन के लक्षणों सहित संकेतन के प्रकार:-

इज्जतनगर बी0जी0 एवं एम0जी0 लाइनो वाला स्टेशन अन्तर्पाशन मानक –III बहु संकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों वाला स्टेशन है तथा यहाँ बी0जी0 रनिंग लाइन संख्या 1 एवं 2 पर तथा एम0जी0 रनिंग लाइन सं0 2, 3 एवं गुड्स लाइन 4, 5, पर ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था है।

प्रदत्त सिगनल(क-1) सिगनल भोजीपुरा छोर (बी0जी0) :-

- डाउन डिस्टेन्ट सिगनल कम डाउन गेट सिगनल गेट सं0 236/B1
- डाउन मेन होम सिगनल संख्या एस 1 डाउन रूटिंग होम सिगनल संख्या एस-5 के संकेतो पर आधारित
- डाउन रूटिंग होम सिगनल संख्या एस-5 लूप लाइन संख्या 2 के लिये इंडिकेटर सहित
- डाउन रूटिंग होम सिगनल संख्या एस-5 मेन लाइन संख्या 1 के लिये इंडिकेटर रहित
- अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 8 मेन लाइन संख्या 1 से

(अतुल सिंह)
मसिदूइ/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूइ/नि/लखनऊ

(के0एस0सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

- (vi) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 10 लूप लाइन संख्या 2 से
 (vii) अप इन्टरमीडियेट प्रस्थान सिगनल संख्या एस 4 लाइन संख्या 1 व 2 से
 (viii) अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 कम अप गेट डिस्टेन्ट गेट सं० 236/B1 **भोजीपुरा छोर** के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र की 'ट्रेन गोइंग टू' स्थिति से नियन्त्रित

(क-2) सिगनल दोहना छोर (एम०जी०) :-

- (i) डाउन डिस्टेन्ट सिगनल कम डाउन गेट सिगनल गेट सं० 236/B1
 (ii) डाउन मेन होम सिगनल संख्या एस 61 डाउन रूटिंग होम सिगनल संख्या एस-65 के संकेतो पर आधारित
 (iii) डाउन रूटिंग होम सिगनल संख्या एस-65 लूप लाइन संख्या 3 के लिये इंडिकेटर सहित
 (iv) डाउन रूटिंग होम सिगनल संख्या एस-65 गुड्स लाइन संख्या 4 के लिये इंडिकेटर सहित
 (v) डाउन रूटिंग होम सिगनल संख्या एस-65 गुड्स लाइन संख्या 5 के लिये इंडिकेटर सहित
 (vi) डाउन रूटिंग होम सिगनल संख्या एस-65 मेन लाइन संख्या 2 के लिये इंडिकेटर रहित
 (vii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 68 मेन लाइन संख्या 2 से
 (viii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 70 लूप लाइन संख्या 3 से
 (ix) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 72 गुड्स लाइन संख्या 4 से
 (x) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 74 गुड्स लाइन संख्या 5 से
 (xi) अप इन्टरमीडियेट प्रस्थान सिगनल संख्या एस 64 लाइन संख्या 2, 3 व गुड्स लाइन 4 व 5 से
 (v) अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 62 कम अप गेट डिस्टेन्ट गेट सं० 236/B1 **दोहना छोर** के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र की 'ट्रेन गोइंग टू' स्थिति से नियन्त्रित

(क-3) अतिरिक्त सिगनल भोजीपुरा छोर (बी०जी०) :-

- (i) **कालिंग आन सिगनल :-**

कालिंग आन सिगनल संख्या	विवरण
डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी-3	डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है। भोजीपुरा छोर से डाउन इन्टरमीडियेट होम सिगनल सं० 5 तक आने के लिये है
डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी-7	डाउन इन्टरमीडियेट होम सिगनल संख्या एस-5 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है। यह भोजीपुरा छोर से लाइन सं० 1, अथवा 2 में आने के लिये है

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

(ii) **शन्ट सिगनल भोजीपुरा छोर (बी०जी०) :-**

आश्रित शन्ट सिगनल		
शन्ट सिगलन संख्या	किस सिगनल के नीचे स्थित है	विवरण
एस एच 34	अप इन्टरमीडियेट प्रस्थान सिगनल सं० एस 4 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है	मेन लाइन सं० 1 से भोजीपुरा छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 2 तक या वर्कशाप साइडिंग में शंटिंग हेतु जाने के लिये
एस एच 35	डाउन रूटिंग होम सिगनल सं० एस 5 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है	भोजीपुरा छोर से लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 में आने के लिये
एस एच 38	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 8 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है	लाइन सं० 1 से भोजीपुरा छोर पर अप इन्टरमीडियेट प्रस्थान सिगनल सं० एस 4 तक शंटिंग के लिये
एस एच 40	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 10 के नीचे उसी खम्भे के नीचे लगा है।	लाइन सं० 2 से भोजीपुरा छोर पर अप इन्टरमीडियेट प्रस्थान सिगनल सं० एस 4 तक शंटिंग के लिये
अनाश्रित शन्ट सिगनल		
एस एच 51	कॉटा सं० 201X के बाहर स्वतन्त्र खम्भे पर स्थित है	यह डीजल शेड से शन्ट सिगनल संख्या एसएच 53 तक आने के लिये है।
एस एच 52	डायमण्ड कॉटा सं० 201 के बाहर स्वतन्त्र खम्भे पर स्थित है	यह बी०जी० लाइन से डीजल शेड को जाने के लिये है।
एस एच 53	कॉटा संख्या 202 के बाहर स्वतन्त्र खम्भे पर स्थित है	यह डीजल शेड की ओर से शन्ट सिगनल संख्या एस एच 35 तक आने के लिये है।
एस एच 55	कॉटा संख्या 202X के बाहर स्वतन्त्र खम्भे पर स्थित है	यह साइडिंग लाइन से शन्ट सिगनल संख्या एस एच 35 तक आने के लिये है।
एस एच 57	कॉटा संख्या 203X के बाहर स्वतन्त्र खम्भे पर स्थित है	यह वर्कशाप साइडिंग से शन्ट सिगनल संख्या एस एच 35 तक आने के लिये है।
एस एच 59	कॉटा संख्या 204X के बाहर स्वतन्त्र खम्भे पर स्थित है	यह वर्कशाप साइडिंग से शन्ट सिगनल संख्या एस एच 35 तक आने के लिये है।

(अतुल सिंह)
मसिदूइ/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

(क-4) अतिरिक्त सिगनल दोहना छोर (एम०जी०) :-

(i) कालिंग आन सिगनल :-

कालिंग आन सिगनल संख्या	विवरण
डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी-63	डाउन होम सिगनल संख्या एस-61 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है। दोहना छोर से डाउन इन्टरमीडियेट होम सिगनल सं० 65 तक आने के लिये है
डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी-67	डाउन इन्टरमीडियेट होम सिगनल संख्या एस-65 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है। यह दोहना छोर से लाइन सं० 1, 2, 3 या गुड्स लाइन 4 या 5 में आने के लिये है

(ii) शन्ट सिगनल दोहना छोर (एम०जी०) :-

आश्रित शन्ट सिगनल		
शन्ट सिगनल संख्या	किस सिगनल के नीचे स्थित है	विवरण
एस एच 94	अप इन्टरमीडियेट प्रस्थान सिगनल सं० एस 64 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है	मेन लाइन सं० 2 से दोहना छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 62 तक या सी०बी०जी० साइडिंग/डीजल शेड में जाने के लिये
एस एच 95	डाउन इन्टरमीडियेट होम सिगनल सं० एस 65 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है	दोहना छोर से लाइन संख्या 1, 2, 3 या गुड्स लाइन 4 या 5 में आने के लिये
एस एच 98	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 68 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है	लाइन सं० 2 से दोहना छोर पर अप इन्टरमीडियेट प्रस्थान सिगनल सं० एस 64 तक शंटिंग के लिये
एस एच 100	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 70 के नीचे उसी खम्बे के नीचे लगा है।	लाइन सं० 3 से दोहना छोर पर अप इन्टरमीडियेट प्रस्थान सिगनल सं० एस 64 तक शंटिंग के लिये
एस एच 102	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 72 के नीचे उसी खम्बे के नीचे लगा है।	गुड्स लाइन सं० 4 से दोहना छोर पर अप इन्टरमीडियेट प्रस्थान सिगनल सं० एस 64 तक शंटिंग के लिये
एस एच 104	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 74 के नीचे उसी खम्बे के नीचे लगा है।	गुड्स लाइन सं० 5 से दोहना छोर पर अप इन्टरमीडियेट प्रस्थान सिगनल सं० एस 64 तक शंटिंग के लिये
अनाश्रित शन्ट सिगनल		
एस एच 107	कॉटा संख्या 210एक्स के बाहर स्वतन्त्र खम्बे पर है	यह वर्कशाप से शन्ट सिगनल संख्या एसएच 95 तक आने के लिये है।

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

एस एच 109	डायमण्ड कौटा संख्या 211A के बाहर स्वतन्त्र खम्भे पर स्थित है	यह लाइन वर्कशाप साइडिंग से लाइन संख्या 1, 2, 3 या गुड्स 4 या 5 में आने के लिये है।
एस एच 110	कौटा संख्या 215B के बाहर स्वतन्त्र खम्भे पर स्थित है	यह लाइन संख्या 1 से शन्ट सिगनल संख्या एस एच 94 तक जाने के लिये है।

(ख-1) सिगनल बरेली सिटी छोर (बी0जी0) :-

- (i) अप डिस्टेन्ट सिगनल कम अप गेट सिगनल गेट सं0 245/B2
- (ii) अप होम सिगनल संख्या एस 24 जिसके संकेत निम्नलिखित हैं -
- (iii) अप होम सिगनल संख्या एस-24 लूप लाइन संख्या 2 के लिये जं0 इंडिकेटर सहित
- (iv) अप होम सिगनल संख्या एस-24 मेन लाइन संख्या 1 के लिये जं0 इंडिकेटर रहित
- (v) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 9 मेन लाइन संख्या 1 से
- (vi) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 लूप लाइन संख्या 2 से
- (vii) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 23 कम डाउन गेट डिस्टेन्ट गेट सं0 245/B2 बरेली सिटी छोर के टोकनलैस ब्लाक यन्त्र की 'ट्रेन गोइंग टू' स्थिति से नियन्त्रित

(ख-2) सिगनल बरेली सिटी छोर (एम0जी0) :-

- (i) अप डिस्टेन्ट सिगनल कम अप गेट सिगनल गेट सं0 245/B2
- (ii) अप होम सिगनल संख्या एस 78 जिसके संकेत निम्नलिखित हैं -
- (iii) अप होम सिगनल संख्या एस-78 लूप लाइन संख्या 2 के लिये जं0 इंडिकेटर सहित
- (iv) अप होम सिगनल संख्या एस-78 मेन लाइन संख्या 3 के लिये जं0 इंडिकेटर रहित
- (v) अप होम सिगनल संख्या एस-78 गुड्स लाइन संख्या 4 के लिये जं0 इंडिकेटर सहित
- (vi) अप होम सिगनल संख्या एस-78 गुड्स लाइन संख्या 5 के लिये जं0 इंडिकेटर सहित
- (vii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 69 लूप लाइन संख्या 2 से
- (viii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 71 मेन लाइन संख्या 3 से
- (ix) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 73 गुड्स लाइन संख्या 4 से
- (x) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 75 गुड्स लाइन संख्या 5 से
- (vii) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 77 कम डाउन गेट डिस्टेन्ट गेट सं0 245/B2 बरेली सिटी छोर के टोकनलैस ब्लाक यन्त्र की 'ट्रेन गोइंग टू' स्थिति से नियन्त्रित

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के0एस0सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

(ख-3) अतिरिक्त सिगनल बरेली सिटी छोर (बी०जी०) :-(i) कालिंग आन सिगनल :-

कालिंग आन सिगनल संख्या	विवरण
अप कालिंग आन सिगनल सं० सी-22	अप होम सिगनल संख्या एस-24 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है। बरेली सिटी छोर से लाइन सं० 1 तथा 2 में आने के लिये है

(ii) शन्ट सिगनल बरेली सिटी छोर (बी०जी०) :-

आश्रित शन्ट सिगनल		
शन्ट सिगलन संख्या	किस सिगनल के नीचे स्थित है	विवरण
एस एच 39	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 9 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है	मेन लाइन सं० 1 से बरेली सिटी छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 23 तक शंटिंग हेतु जाने के लिये
एस एच 41	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 11 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है	लाइन सं० 2 से बरेली सिटी छोर पर डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 23 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु
अनाश्रित शन्ट सिगनल		
एस एच 60	डायमण्ड कॉटा सं० एस 207 DT से पहले स्वतन्त्र खम्बे पर लगा है	बरेली सिटी छोर से लाइन संख्या 1 व 2 में शंटिंग हेतु आने के लिये

(ख-4) अतिरिक्त सिगनल बरेली सिटी छोर (एम०जी०) :-(i) कालिंग आन सिगनल :-

कालिंग आन सिगनल संख्या	विवरण
अप कालिंग आन सिगनल सं० सी-76	अप होम सिगनल संख्या एस-78 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है। बरेली सिटी छोर से लाइन सं० 1, 2, 3 या गुड्स लाइन 4 तथा 5 में आने के लिये है

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

(ii) **शन्ट सिगनल बरेली सिटी छोर (एम०जी०) :-**

आश्रित शन्ट सिगनल		
शन्ट सिगनल संख्या	किस सिगनल के नीचे स्थित है	विवरण
एस एच 99	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 69 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है	लाइन सं० 2 से बरेली सिटी छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 77 तक शंटिंग हेतु जाने के लिये
एस एच 101	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 71 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है	लाइन सं० 3 से बरेली सिटी छोर पर डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 77 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु
एस एच 103	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 73 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है	लाइन सं० 4 से बरेली सिटी छोर पर डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 77 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु
एस एच 105	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 75 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है	लाइन सं० 5 से बरेली सिटी छोर पर डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 77 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु
अनाश्रित शन्ट सिगनल		
एस एच 112	डायमण्ड क्रास ओवर 207 DT से पहले स्वतन्त्र खम्भे पर लगा है	बरेली सिटी छोर से लाइन संख्या 1, 2, 3 या गुड्स लाइन 4, व 5 में शंटिंग हेतु आने के लिये
एस एच 111	कॉटा सं० एस 218X के बाहर स्वतन्त्र खम्भे पर लगा है	लाइन सं० 1 से बरेली सिटी छोर पर डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 77 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु

(ग) **पुनरावर्तक (रिपीटर) :-**

- (i) बरेली सिटी छोर पर एम०जी० लाइन संख्या 3 का डाउन प्रस्थान सिगनल एस 71 गाड़ी के लोको पायलट को दिखायी नहीं देता है, अतः इस सिगनल के आस्पैक्ट को दोहराने के लिये **बैनर रिपीटर** प्रदान किया गया है।
- (i) बरेली सिटी छोर पर एम०जी० लाइन संख्या 2 का डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 69 गाड़ी के गार्ड को दिखायी नहीं देता है, अतः गार्ड की सुविधा के लिये इस सिगनल के आस्पैक्ट को दोहराने के लिये **स्टार्टर इंडिकेटर** प्रदान किया गया है।

(घ) **स्टाप बोर्ड :-** दोहना साइड में निम्नलिखित लोकेशन पर स्टाप बोर्ड प्रदत्त हैं:-

- गेट संख्या 237 के दोनों ओर - बी०जी० एवं एम०जी० नान-रनिंग लाइन पर
गेट संख्या 240 के दोनों ओर - एम०जी० नान-रनिंग लाइन पर
गेट संख्या CBJ1 के दोनों ओर - बी०जी० एवं एम०जी० नान-रनिंग लाइन पर

(अतुल सिंह)
मसिदूइ/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

- 4.1.(क) सभी काँटों एवं सिगनल एक केन्द्रीय स्थान से एक पैनल के माध्यम से परिचालित किये जाते हैं जिसे स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल कहते हैं। यार्ड का भौगोलिक अभिन्यास, काँटों एवं संकेतों सहित स्टेशन मास्टर पैनल पर दिया गया है। काँटों एवं सिगनलों के प्रचालन हेतु स्विच प्रदत्त हैं। अप एवं डाउन छोरों के लिये **पृथक-पृथक दो ग्रुप पुश बटन** भी दिये गये हैं।
- (ख) इस स्टेशन पर प्रदत्त सिगनल बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनल है।
- (ग) कार्यरत स्टेशन मास्टर आपातिक दशा में सम्बन्धित सिगनल स्विच को मध्य स्थिति में करके तथा सम्बन्धित EUYN बटन दबाकर सिगनलों को 'आन' स्थिति में वापस कर सकता है। निरस्त करने पर जब काँटा स्विच का लाक लाइट अदृश्य हो जाय तब मार्ग बदला जा सकता है।
- (घ) स्टेशन मास्टर पैनल पर प्रदत्त बटन / स्विच के संचालन तथा पैनल पर प्रदर्शित इंडिकेशन तथा सिगनलों के आस्पैक्ट के विस्तृत विवरण के लिये **सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' के पैरा 3 , 4 तथा 5** में उल्लिखित विवरण को देखें।

4.1.2 स्टॉप प्लग :-

स्विच रोक प्लग पैनल के प्लग स्टोरेज स्थान पर प्रदत्त है। जब कभी सिगनल और या काँटा स्विचों के एक दिशा से दूसरी दिशा में प्रचालन को रोकना हो तो इन प्लगों को स्विचों के पास प्रदत्त छेदों में लगा देना चाहिए। ये प्लग स्टेशन मास्टर के लिये अनुस्मारक का कार्य करेगी।

4.1.3 स्थाई रूप से ताला बन्द काँटों/पृथक्करण (आइसोलेशन) :

काँटा संख्या	विवरण	संकेतक लगे हैं या नहीं	सेटिंग की सामान्य स्थिति	चाबी जिसके द्वारा नियन्त्रित	मोटर चालित / यांत्रिक चालित	टैक सर्किटेड है या नहीं	टिप्पणी
501	सिंगल एच0पी0के0 लाक काँटा	नहीं	लाइन सं0 2 के लिये सैट तथा लाइन सं0 3 के विपरीत	एस के	हैण्ड आपरेटेड	नहीं	चाबी एस के दोहरे एच0पी0के0 लाक काँटा 501एक्स में लाक रहती है।
501X	ट्रैप काँटा	नहीं	लाइन सं0 3 पर गाडी गिराने के लिये खुला	एफ 1	हैण्ड आपरेटेड	नहीं	चाबी एफ 1 स्टेशन मास्टर के नियन्त्रण में रहती है।

टिप्पणी-

- (क) अन्तर्पाशन की विफलता की दशा में उपरोक्त काँटे स्थायी रूप से ताला बन्द काँटे श्रेणी 'बी' माने जायेंगे और उन्हें क्लैम्प करके ताला बन्द किया जाना चाहिये।
(साधा0 एवं सहा0 नियम 5.01(8) देखें)
- (ख) साइडिंग काँटों के संचालन की विधि **सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' के पैरा 5 एवं 6** में दी गयी है।

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के0एस0सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

4.1.4. विद्युत चालित काँटा मशीन / क्रैन्क हैण्डिल :

(क) **बी०जी०** काँटा संख्या— 201 -201एक्स, 202-202एक्स, 203-203एक्स, 204-204एक्स, 205-205एक्स, 206, 207-207एक्स, तथा **एम०जी०** काँटा संख्या 210-210एक्स, 211ए-211बी, 212-212एक्स, 213-313एक्स, 214, 215ए-215बी, 216, 217-217एक्स, 218-218एक्स, 219ए-219बी, मोटर चालित काँटें हैं तथा प्रत्येक काँटें पर विद्युत काँटा मशीन लगी है। सामान्यतः ये काँटें स्टेशन मास्टर के नियन्त्रण पैनल से प्रचालित किये जाते हैं। विफलता की दशा में इन्हें स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त यन्त्र रचना से मुक्त कराये गये क्रैन्क हैण्डिल द्वारा प्रचालित किया जायेगा। इनकी सही सेटिंग सुनिश्चित करना स्टेशन मास्टर का उत्तरदायित्व है।

इस दशा में काँटों का ठीक ढंग से सेट करना एवं जहाँ आवश्यक हो, पाशित करना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कार्यरत स्टेशन मास्टर का है। क्रैन्क हैण्डिल के प्रचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट “ख” तथा साधारण नियम 3.38(क) एवं (ख), 3.39 एवं सहायक नियम 3.39 (ii) देखें।

क्रैन्क हैण्डिल द्वारा नियन्त्रित काँटों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०संख्या	क्रैन्क हैण्डिल संख्या	क्रैन्क हैण्डिल द्वारा नियन्त्रित काँटों की संख्या
बी०जी०		
1	सी एच - 1	201 - 201X,
2	सी एच - 2	202-202X, 203-203X, 204-204XB
3	सी एच - 3	205-205X, 206
4	सी एच - 4	207 - 207X,
एम०जी०		
5	सी एच - 5	210-210X,
6	सी एच - 6	211a - 211b, 215a - 215 b
7	सी एच - 7	212-212X, 213-213X, 214
8	सी एच - 8	216, 217-217X
9	सी एच - 9	218-218X,
10	सी एच - 10	219 a-219 b,

(ख) प्रत्येक समय जब विद्युतीय पाश संयोजन से क्रैन्क हैण्डिल द्वारा परिचालित काँटों के हाथ द्वारा प्रचालन हेतु मुक्त कराया जाता है तो इस सम्बन्ध में, इस उद्देश्य से बनायी गयी पंजिका में, कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निम्न प्रारूप में प्रविष्टि अवश्य अंकित की जानी चाहिए

क्रम सं०	क्रैन्क हैण्डिल चाबी निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद	क्रैन्क हैण्डिल चाबी निकाले जाने की तिथि एवं समय	क्रैन्क हैण्डिल चाबी निकालने का उद्देश्य विफलता/परीक्षण	क्रैन्क हैण्डिल चाबी निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	वीडर काउन्टर द्वारा पंजीकृत संख्या	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	क्रैन्क हैण्डिल चाबी वापस करने की तिथि व समय	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(अतुल सिंह)
मसिदूइ/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूइ/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

4.2 रिले रूम की चाबियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार विभाग के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हें लेने-देने की कार्य पध्दति :-

इस स्टेशन पर रिले रूम में पूर्ण इन्टरलाकिंग की रिले स्थापित है। रिले रूम को दोहरे ताले से (स्टेशन मास्टर एवं एस०एण्ड टी०) द्वारा बन्द किया जाना चाहिए। इसको आवश्यकता पड़ने पर खोलने के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में अनुरक्षित पंजिका पर एस०एण्ड टी० कर्मचारी द्वारा रिले रूम खोलने के उद्देश्य के साथ प्रविष्टि करने के पश्चात ही स्टेशन मास्टर को रिले रूम की चाबी सौंपनी चाहिए।

4.3 विद्युत आपूर्ति (पावर सप्लाई)

विद्युत विफलता की स्थिति में ट्रैक सर्किटिंग एवं अन्य काँटा तथा सिगनल संकेतों को प्रकाशित करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में स्टेशन पर आई०पी०एस० की व्यवस्था की गयी है।

(आई०पी०एस० की कार्य प्रणाली तथा विफलता के समय अपनायी जाने वाली प्रक्रिया हेतु सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' के पैरा 13 देखें)

4.4 वीडर काउन्टर :-

स्टेशन मास्टर पैनल पर प्रदत्त वीडर काउन्टर का विवरण सिगनलिंग परिशिष्ट के पैरा 8 में देखें। जब सम्बन्धित स्विच को जिसके लिये ये वीडर काउन्टर प्रदत्त है, का प्रयोग किया जाता है, तब प्रत्येक बार एक उच्च संख्या वीडर काउन्टर पर उभरती है। प्रत्येक बार जब कैंक हैण्डिल का प्रयोग किया जाय तब वीडर काउन्टर में प्रदर्शित संख्या को उपरोक्त पैरा 4.1.6 में दिये गये प्रारूप में इस उद्देश्य से अनुरक्षित पंजिका में तथा वीडर काउन्टर पंजिका में सम्बन्धित काउन्टर के लिये ऑवटित पृष्ठ पर इसकी प्रविष्टि कारण सहित अंकित किया जाय एवं कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन का चार्ज ग्रहण करते समय / सौंपते समय वीडर काउन्टर की वास्तविक संख्या तथा वीडर काउन्टर पंजिका की प्रविष्टियाँ समान / अद्यतन करना सुनिश्चित किया जाय।

4.5 बी०जी० खण्ड में स्टेशन के दोनो ओर होम सिगनल एवं एडवॉस स्टार्टर सिगनल के मध्य एक्सल काउन्टर प्रदत्त है। विस्तृत विवरण के लिये सिगनलिंग परिशिष्ट का पैरा 4.4 देखें।

5. दूर संचार:- स्टेशन मास्टर कार्यालय में निम्न टेलीफोन प्रदत्त हैं -

- (i) नियंत्रण कार्यालय इज्जतनगर से सम्बद्ध कन्ट्रोल टेलीफोन।
- (ii) बरेली सिटी एम०जी०/बी०जी० स्टेशन के टोकेनलेस ब्लॉक पैनल से सम्बद्ध टेलीफोन।
- (iii) दोहना स्टेशन (एम०जी०) के टोकेनलेस ब्लॉक उपकरण के सम्बद्ध टेलीफोन।
- (iv) भोजीपुरा स्टेशन (बी०जी०) के टोकेनलेस ब्लॉक उपकरण के सम्बद्ध टेलीफोन।
- (v) ट्रैफिक गेट संख्या 237/B2 के साथ टेलीफोन एम०जी०/बी०जी० संचलन हेतु।
- (vi) ट्रैफिक गेट संख्या 240/C के साथ टेलीफोन एम०जी०/बी०जी० संचलन हेतु।
- (vii) ट्रैफिक गेट संख्या 242/Spl के साथ टेलीफोन एम०जी०/बी०जी० संचलन हेतु।
- (viii) ट्रैफिक गेट संख्या 243/Spl के साथ टेलीफोन एम०जी०/बी०जी० संचलन हेतु।
- (ix) इंजी० गेट संख्या 236/B1 (इज्जतनगर-दोहना) के साथ टेलीफोन एम०जी०/बी०जी० संचलन हेतु

(अतुल सिंह)
मसिदूइ/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

- (x) इंजी0 गेट संख्या 236B/C (इज्जतनगर-दोहना) के साथ टेलीफोन एम0जी0/बी0जी0 संचलन हेतु ।
- (xi) इंजी0 गेट संख्या 236A/C (इज्जतनगर-दोहना) के साथ टेलीफोन एम0जी0/बी0जी0 संचलन हेतु ।
- (xii) इंजी0 गेट संख्या 232/C (इज्जतनगर-भोजीपुरा) के साथ टेलीफोन बी0जी0 संचलन हेतु
- (xiii) इंजी0 गेट संख्या 233/B (इज्जतनगर-भोजीपुरा) के साथ टेलीफोन एम0जी0/बी0जी0 संचलन हेतु
- (xiv) इंजी0 गेट संख्या 234/C (इज्जतनगर-भोजीपुरा) के साथ टेलीफोन एम0जी0/बी0जी0 संचलन हेतु
- (xv) इंजी0 गेट संख्या सी0बी0जे0 1A/C (इज्जतनगर-डीजल शेंड) के साथ टेलीफोन एम0जी0/बी0जी0 संचलन हेतु
- (xvi) 25 वाट वी0एच0एफ0 सेट एवं बाकी-टाकी 5 वाट

नोट :- संचार साधनों की विफलता की स्थिति में परिशिष्ट "ख" के पैरा 11A में उल्लिखित नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

6. गाड़ी संचालन की प्रणाली

कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान से सम्बद्ध सभी मामलों के लिये स्टेशन का प्रभारी है। गाड़ी संचलन से सम्बद्ध अन्य कर्मचारी उसके आदेश तथा निर्देशों के अन्तर्गत कार्य करेंगे। साधारण एवं सहा0 नियम 3.37 से 3.40, 3.43, 3.42, 4.35 तथा 4.17 में उल्लिखित निर्देशानुसार गाड़ियों का आगमन एवं प्रस्थान किया जायेगा।

(1) गाड़ियों का आगमन -

जब गाड़ियों का बी0 जी0 लाइन संख्या 1 एवं 2 तथा एम0जी0 लाइन संख्या 2, 3 या गुड्स लाइन 4, एवं 5 पर आगमन कराना हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिए कि,

- (क) जाँच करें कि वॉछित लाइन से सम्बन्धित ट्रैक सर्किट भाग के लिये ट्रक आक्यूपैन्सी बलितियों में लाल प्रकाश तो नहीं जल रहा है।
- (ख) वॉछित लाइन जिस पर गाड़ी का आगमन कराना है, वह साफ एवं बाधा रहित है।

गाड़ियों के आगमन हेतु लाइन निम्न स्थान तक साफ होना चाहिए :-

(i) अप गाड़ियों के लिये -

- (अ) बी0जी0 में लाइन संख्या 1 एवं 2 पर आगमन हेतु कॉटा सं0 205 X तक
- (ब) एम0जी0 में लाइन सं0 2, 3, 4, 5 पर आगमन हेतु ट्रैफिक गेट संख्या 242 से पूर्व तक

(ii) डाउन गाड़ियों के लिये -

- (अ) बी0जी0 में लाइन संख्या 1 एवं 2 पर आगमन हेतु ट्रैफिक गेट संख्या 243 से पूर्व तक
- (ब) एम0जी0 में लाइन संख्या 2, 3, 4, व 5 पर आगमन हेतु ट्रैफिक गेट संख 243 से पूर्व तक
- (ग) **दोहना से एम0जी0** डाउन गाड़ी लाइन संख्या 2, 3 या गुड्स लाइन 4, 5 में तथा **भोजीपुरा से बी0जी0** डाउन गाड़ी लाइन संख्या 1 या 2 पर आगमन के लिये गेट सं0 237/B2, 240/C एवं 242/Sp1 को बन्द एवं लाक कराकर गेट नियन्त्रण स्विच क्रमशः 551, 552, 553 को लाकड स्थिति में घुमाएं। इससे सम्बन्धित गेट के बन्द व लाक होने का इंडिकेशन पैनल पर दिखायी देगा।

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के0एस0सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

- (घ) आने वाली गाड़ी के लिये वाँछित रूट तथा आगमन सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल सिगनल स्विच घुमायें एवं रूट बटन एक साथ दबायें। ऐसा करने पर सम्बन्धित सिगनल आफ हो जायेगा तथा काँटा सम्बन्धित लाइन पर ओवर लैप तक का रूट प्रकाशित होने लगेगा।
- (ङ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले तथा ओवर लैप के ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तियाँ जल जायेगी।
- (च) स्टेशन पैनल पर देख लें कि काँटों के निकट सूक्ष्म सफेद बत्ती जल गयी है जो सम्बन्धित काँटों के सैट की स्थिति में काँटें लाक होने की सूचक है। इसके साथ ही देख ले कि सम्बन्धित आगमन सिगनलों का 'आफ' आस्पैक्ट भी पैनल पर आ गया है।
- (छ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जब गाड़ी होम सिगनल को पार करती है तो आगमन सिगनल आन स्थिति में आ गये हैं। जैसे ही गाड़ी होम सिगनल को पार करेगी, स्टेशन मास्टर कार्यालय में एक बजर बजने लगेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर होम सिगनल स्विच को घुमाकर एकनालेज करे तब यह बजर बजना बन्द हो जायेगा। ध्यान रखें कि उनके ऐसा नहीं करने या बजर बजने से पूर्व ही एकनालेज करने से ब्लाक यन्त्र विफल हो जायेगा।
- (ज) यह सुनिश्चित कर लेने के बाद की गाड़ी पूरी आ गयी है तथा काँटे एवं उल्लंघन चिह्न साफ हो गये हैं, कार्यरत स्टेशन मास्टर पीछे के काँटों को एक मिनट के अन्दर अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट करें। गाड़ियों की कासिंग की दशा में दोनों ओर के काँटों को अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट करें। तत्पश्चात काँटों एवं सिगनल स्विचों को सामान्य स्थिति में करके पैनल कन्ट्रोल चाबी पैनल से निकाल कर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।
(ब्लाक लाइन के विरुद्ध काँटों को सैट करने के लिये सा0 एवं सहायक नियम 5.19 देखें)

6.1 गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :-

गाड़ी परिचालन कर्मचारी स्टेशन मास्टर, काँटा वाला, एवं फाटकवाला के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

6.1.1 प्रत्येक पाली में गाड़ी संचालन कर्मचारी :-

दिन की पाली :

स्टेशन अधीक्षक	—	01	—	पर्यवेक्षकीय
स्टेशन मास्टर	—	01	—	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
काँटावाला	—	02	—	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	—	04	—	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
पोर्टर	—	02	—	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
शंटिंग मास्टर	—	01	—	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

(अतुल सिंह)
मसिदूइ/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के0एस0सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

सौध्य/रात्रि पाली :

स्टेशन मास्टर	—	02	—	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
कॉटावाला	—	07	—	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	—	06	—	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
पोर्टर	—	04	—	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
शंटिंग मास्टर	—	01	—	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

6.1.2 लाइनों का क्लीयरेंस सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र :

कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के आगमन/प्रस्थान के लिये परिचालित लाइन का साफ एवं बाधा रहित होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है। (साधारण नियम 3.38 (i), 3.40(3) देखें)

6.1.3 आश्वासन पंजिका में कर्मचारियों का आश्वासन :-

वे सभी कर्मचारी जो किसी भी प्रकार गाड़ी संचालन से सम्बद्ध हो, अपना कार्यभार स्वतन्त्र रूप से ग्रहण करने के पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 या उससे अधिक दिन गाड़ी संचालन से असम्बद्ध रहे हों, अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका (एशयोरेंस रजिस्टर) में अनुमोदित प्रारूप पर एक प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से देंगे।

(सहायक नियम 5.01(19) तथा परिचालन नियमावली अध्याय 3 का पैरा 3003 देखें)

6.2 लाइन क्लीयर देने की शर्तें :**(क) एम0जी0 में —**

एम0जी0 लाइन तब तक साफ नहीं समझी जायेगी तथा लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि :

- (क) सम्पूर्ण, अन्तिम पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी न आ गयी हो।
- (ख) उक्त गाड़ी के पीछे वाले होम तथा डिस्टेन्ट सिगनल "आन" स्थिति में वापस न कर दिये गये हो।
- (ग) लाइन, स्टेशन पर प्रत्याशित गाड़ी के निकटतम सिरे के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ न हो।
- (घ) दोहना एम0जी0 से डाउन गाड़ियों के लिये गेट सं0 233/B, 234/C, 236/B1, 236B/C तथा 236A/C के गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये गेट अनुदेश के अनुसार सूचित न कर दिया गया हो।

(ख) बी0जी0 में —

बी0जी0 लाइन तब तक साफ नहीं समझी जायेगी तथा लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि :

- (क) सम्पूर्ण, अन्तिम पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी न आ गयी हो।
- (ख) उक्त गाड़ी के पीछे वाले होम तथा डिस्टेन्ट सिगनल "आन" स्थिति में वापस न कर दिये गये हो।
- (ग) लाइन, स्टेशन पर प्रत्याशित गाड़ी के निकटतम सिरे के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ न हो।
- (घ) भोजीपुरा बी0जी0 से डाउन गाड़ियों के लिये गेट सं0 232/C, 233/B, 234/C, 236/B1, 236B/C तथा 236A/C के गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये गेट अनुदेश के अनुसार सूचित न कर दिया गया हो।

(साधा0एवं सहा0नियम 8.03(2)(क) (ख) (ग) तथा सहा0 नियम 8.03 (i), (ii) (iii) (iv) देखें)

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के0एस0सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

6.2.1 स्टेशन पर गाड़ी के आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्तें :-

पर्याप्त दूरी :- सामान्य नियम 3.40 (i)(b) के अनुसार गाड़ियों के आगमन के लिये पर्याप्त दूरी सामान्यतः गाड़ी रुकने के स्थान से मापी गयी है।

6.2.1.1 ब्लाक लाइन के विरुद्ध काँटों को अन्य लाइन के लिये सैट करना

जब स्टेशन पर कोई चालू लाइन स्टैबुल्ड लोड अथवा क्रासिंग/प्रीसीडेंस के कारण अवरुद्ध हो, तो दोनों छोरों के काँटों अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट किये जायें। (साधारण एवं सहायक नियम 5.19(1)(a)(ii)(b)(ii) (2)(5)(i) को देखें)

6.2.1.2 अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन

जब स्टेशन पर किसी अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी को प्राप्त करना हो, तो साधारण नियम 5.09(1)(a) (b)(c), (2)(c), (3)(a)(b) (i) तथा सहायक नियम 5.09(1), (a) (b)(c), के अनुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण सुनिश्चित करें।

6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन :-

इस स्टेशन पर बिना सिगनल वाली बी0जी0 इंजी0 साइडिंग लाइन संख्या 3 पर **भोजीपुरा** की ओर से तथा एम0जी0 लाइन संख्या 1 पर **दोहना तथा बरेली सिटी** की ओर से साधारण एवं सहायक नियम 5.10 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए आगमन कराया जा सकता है। सम्बन्धित काँटों की क्लैम्पिंग एवं पैडलाकिंग सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कार्यरत कौटावाला / शंटिंग मास्टर का होगा।

6.2.1.4 बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-

इस स्टेशन पर बिना सिगनल वाली बी0जी0 इंजी0 साइडिंग लाइन संख्या 3 से **भोजीपुरा** को तथा एम0जी0 लाइन संख्या 1 से **दोहना तथा बरेली सिटी** की ओर को साधारण एवं सहायक नियम 5.11 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रस्थान कराया जा सकता है। सम्बन्धित काँटों की क्लैम्पिंग एवं पैडलाकिंग सुनिश्चित करने तथा गाड़ी के परिचालित लाइन तक लाने हेतु पायलट करने का उत्तरदायित्व कार्यरत कौटावाला / शंटिंग मास्टर का होगा।

6.2.1.5 कॉमन स्टार्टर सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-

इस स्टेशन पर कोई कामन स्टार्टर प्रदत्त नहीं है।

6.2.1.6 सामान्य एवं सहायक नियमों का सन्दर्भ देते हुए अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना :- कोई नहीं।**6.3 आगमन सिगनलो को "आफ" करने की शर्तें :**

- (क) परिचालित लाइन जिस पर गाड़ी का आगमन कराना है, साफ एवं बाधा रहित होनी चाहिये। इसका दृष्टिक संकेत स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध है।
- (ख) गाड़ी संचालन को प्रभावित करने वाले सभी सम्मुख / अनुमुख काँटों वॉछित लाइन के लिये सैट और पाशित है।
- (ग) वह लाइन जिस पर गाड़ी लेनी है, सम्मुख काँटों के आगे अग्रिम प्रस्थान सिगनल / डेड एण्ड तक साफ है।
- (घ) स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित लाइन पर लाइन साफ होने का इंडिकेशन उपलब्ध है।

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के0एस0सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

- (ड) सुनिश्चित करें कि बी0जी0 अप गाड़ी लाइन संख्या 1 या 2 पर आगमन के लिए 243 Spl व 242 Spl अथवा एम0जी0 अप गाड़ी लाइन संख्या 2, 3 या गुड्स लाइन 4 या 5 पर आगमन के लिये गेट सं0 243/Spl को बन्द एवं लाक कर दिया गया है तथा गेट नियन्त्रण स्विच 554 लाकड स्थिति में घुमा दिया गया है। इससे गेट बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर दिखायी देगा।

इसी प्रकार **दोहना से एम0जी0** डाउन गाड़ी लाइन संख्या 2, 3 या गुड्स लाइन 4, 5 में तथा **भोजीपुरा से बी0जी0** डाउन गाड़ी लाइन संख्या 1 या 2 पर आगमन के लिये गेट सं0 237/B2, 240/C एवं 242/Spl को बन्द एवं लाक कर दिया गया है तथा गेट नियन्त्रण स्विच क्रमशः 551, 552, 553 को लाकड स्थिति में घुमा दिया गया है,। इससे सम्बन्धित गेट के बन्द व लाक होने का इंडिकेशन पैनल पर दिखायी देगा।

6.3.1 **“आफ” किये गये सिगनल को पुनः “आन” करने के लिये स्टेशन मास्टर का उत्तरदरायित्व :-**

किसी गाड़ी के सम्पूर्ण आगमन के बाद सभी सम्बन्धित कॉटों एवं सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जाय। सहायक नियम 3.38 (iv) देखें।

6.4 **गाड़ियों का एक साथ आगमन / प्रस्थान, गाड़ियों की क्रासिंग तथा गाड़ियों को प्राथमिकता देना :-**

- (i) इस स्टेशन पर डाउन एम0जी0 एवं बी0जी0 गाड़ियों के एक साथ आगमन अनुमति है।
- (ii) इस स्टेशन पर अप एम0जी0 अथवा बी0जी0 गाड़ियों के एक साथ प्रवेश की अनुमति नहीं है।
- (iii) इस स्टेशन पर अप एम0जी0 एवं बी0जी0 गाड़ियों का एक साथ प्रस्थान की अनुमति है।
- (iv) इस स्टेशन पर डाउन एम0जी0 अथवा बी0जी0 गाड़ियों के एक साथ प्रस्थान की अनुमति नहीं है।
- (v) बी0जी0 अप एवं डाउन गाड़ियों के एक एक साथ प्रवेश की अनुमति नहीं है।
- (vi) **एम0जी0 गाड़ियों के एक एक साथ आगमन निम्न प्रकार किया जा सकता है।**
- (क) एम0जी0 अप गाड़ी का लाइन संख्या 3 या गुड्स लाइन 4, या 5 पर आगमन, और एम0जी0 डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 2 पर आगमन
- (ख) एम0जी0 डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 3 या गुड्स लाइन 4 या 5 पर आगमन और, एम0जी0 अप गाड़ी का लाइन संख्या 2 से प्रस्थान,
- (v) इस स्टेशन पर सवारी गाड़ी के ब्रेक यान को एक दूसरे के सम्मुख करके क्रासिंग की अनुमति है।
(साधारण नियम 5.01(14) देखें)

6.5 **गाड़ियों का पूर्ण आगमन :-**

- (क) स्टेशन से बिना रुके जाने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर का यह कर्तव्य है कि गाड़ी के एल0वी0बोर्ड/फ्लैशर टेल लैम्प का स्वयं निरीक्षण करके सुनिश्चित करें कि गाड़ी पूरी आ गयी गयी है / चली गयी है।

(अतुल सिंह)
मसिदूइ/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूइ/नि/लखनऊ

(के0एस0सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

- (ख) रुकने वाली अप गाड़ियों के मामले में गेट संख्या 243/Spl एवं डाउन गाड़ियों के मामले में 242/Spl पर कार्यरत गेटमैन का उत्तरदायित्व होगा कि वह गाड़ी के अन्तिम वाहन पर लगे एल0वी0/फ्लैशर टेल लैम्प को देखने के बाद गाड़ी के पूर्ण आगमन की सूचना कार्यरत स्टेशन मास्टर को अपने प्राइवेट नम्बर के साथ टेलीफोन पर बताये तथा स्टेमा0 व गेटमैन अपनी-अपनी लाग बुक में इसे अंकित करे। एल0वी0/फ्लैशर टेल लैम्प के सन्दर्भ में गाड़ी अपूर्ण आने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर सक्षम रेल कर्मचारी द्वारा भेजे गये **ट्रेन इन्टैक्ट रजिस्टर** के निर्धारित प्रपत्र टी/1410 पर गाड़ी के गार्ड से पूर्ण आगमन रिकार्ड करायेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर ब्लाक यन्त्र पर तब तक लाइन बन्द नहीं करेगा जब तक वह उक्त रजिस्टर गार्ड के पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र के साथ वापस नहीं प्राप्त कर लेता है एवं उल्लघन चिन्ह साफ होने के बारे में सन्तुष्ट नहीं हो जाता है। (साधारण एवं सहायक नियम 4.17 देखें)

6.6 गाड़ियों का प्रस्थान :-

- जब गाड़ियों का प्रस्थान कराना हो, कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि सलग्न अगले एम0जी0 अथवा बी0जी0 ब्लाक स्टेशन से लाइन क्लीयर प्राप्त करें और -
- (क) जाँचें कि आक्यूपाइड भाग के अतिरिक्त सम्बन्धित ट्रैक सर्किटों के लिये ट्रैक आक्यूपैन्सी बलितियों में लाल प्रकाश तो नहीं जल रहा है। **दोहना** को एम0जी0 एवं **भोजीपुरा** को बी0जी0 अप गाड़ियों के मामले में ट्रैफिक गेट सं0 242/Spl, 240/C एवं 237/B2 तथा बरेली सिटी को डाउन एम0जी0 / बी0जी0 गाड़ियों के मामले में ट्रैफिक गेट संख्या 243/Spl को बन्द एवं लाक कराकर उनके सम्बन्धित गेट नियन्त्रण स्विच क्रमशः 553, 552, 551, 554 को लाकड स्थिति में घुमाएं। इससे सम्बन्धित गेट बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर दिखायी देगा।
इसके साथ ही सुनिश्चित करें कि **दोहना को एम0जी0** गाड़ी के प्रस्थान के लिये इंजी0 गेट संख्या 236/B1, 236/B/C, एवं 236A/C पर कार्यरत गेटमैन तथा **भोजीपुरा को बी0जी0** गाड़ी प्रस्थान के लिये इंजी0 गेट संख्या 236/B1, 236B/C, 236A/C, 234/C, 233/B एवं 232/C पर कार्यरत गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये गेट अनुदेशों के अनुसार सूचित कर दिया गया है।
- (ख) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त तालें में लगाये ओर ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल प्रचालन योग्य बनायें।
- (ग) गाड़ी के प्रस्थान हेतु मार्ग सेट करने के लिये सम्बन्धित काँटा स्विच को वाँछित स्थिति में घुमायें।
- (घ) अग्रिम प्रस्थान सिगनल तथा प्रस्थान सिगनल के स्विचों को वाँछित स्थिति में घुमायें और सम्बन्धित रूट बटन को दबायें। तब उस मार्ग पर जिसके लिये सिगनल दिये गये हैं एक सफेद/पीला प्रकाश प्रकट होगा। अग्रिम प्रस्थान एवं प्रस्थान सिगनल आफ संकेत प्रदर्शित करेंगे जो पैनल पर इंगित होगा। इसके पश्चात कार्यरत स्टेशन मास्टर डिपार्टिंग बैल बजाकर गाड़ी के गार्ड को गाड़ी चलाने के लिये प्राधिकृत करें।
- (ङ) गाड़ी के द्वारा ट्रैक सर्किटों का अभिधारण होने पर सम्बन्धित ट्रैक सर्किटों के लिये ट्रैक आक्यूपैन्सी बलती (लाल) जल जानी चाहिये और जब गाड़ी इन पर से गुजर कर इनको साफ कर दे तो बुझ जानी चाहिये।
- (च) कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के बाद कि गाड़ी पूरी चली गयी है तथा काँटों एवं उल्लघन चिन्हों को साफ कर दिया गया है, काँटें एवं सिगनल स्विचों को सामान्य दशा में वापस कर देना चाहिये।

(अतुल सिंह)
मसिदूइ/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूइ/नि/लखनऊ

(के0एस0सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

- (छ) ट्रैक सर्किट की विफलता अथवा ट्रैक सर्किट बल्बों के फ्यूज़ होने पर परिचालित लाइन का साफ होना कार्यरत स्टेशन मास्टर स्वयं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

6.6 (i) प्रस्थान सिगनल "आफ" करने की शर्तें :

- (क) उस एम0जी0 अथवा बी0जी0 ब्लाक स्टेशन से जिस को गाड़ी भेजना है, लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो।
- (ख) गाड़ी के प्रस्थान हेतु मार्ग सेट एवं पाशित कर दिया गया हो।
- (ग) स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित लाइन पर साफ संकेत उपलब्ध हो।
- (घ) **दोहना** को एम0जी0 एवं **भोजीपुरा** को बी0जी0 अप गाड़ियों के मामले में ट्रैफिक गेट सं0 242/Spl, 240/C एवं 237/B1 तथा बरेली सिटी को डाउन एम0जी0 / बी0जी0 गाड़ियों के मामले में ट्रैफिक गेट संख्या 243/Spl को बन्द एवं लाक कराकर उनके सम्बन्धित गेट नियन्त्रण स्विच क्रमशः 553, 552, 551, 554 को लाकड स्थिति में घुमाएं। इससे सम्बन्धित गेट बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर दिखायी देगा।

इसके साथ ही सुनिश्चित करें कि **दोहना को एम0जी0** गाड़ी के प्रस्थान के लिये इंजी0 गेट संख्या 236/B1, 236/B/C, एवं 236A/C पर कार्यरत गेटमैन तथा **भोजीपुरा को बी0जी0** गाड़ी प्रस्थान के लिये इंजी0 गेट संख्या 236/B1, 236B/C, 236A/C, 234/C, 233/B एवं 232/C पर कार्यरत गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये गेट अनुदेशों के अनुसार सूचित कर दिया गया है।

6.6.1 सतर्कता आदेश (T/409) जारी करना :-

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरो जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी, उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पड़ने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनों पर और उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशों के अर्न्तगत निर्धारित है, लोको पायलट एवं गार्ड को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा।

(साधारण एवं सहायक नियम 4.09 देखें)

6.7. गाड़ियों का बिना रुके सीधे जाना (रन-थ्रू) :

इस स्टेशन से गाड़ियों के रन थ्रू पास होने की अनुमति नहीं है।

6.8 विफलता के दौरान कार्य पध्दति :-

- (क) कॉटों, एवं सिगनलों के विफल हो जाने की दशा में, साधारण एवं सहायक नियम 3.69(3), 3.70(1)(3), 3.68(1)(ग) सहायक नियम 3.39(ii) में उल्लिखित पद्धति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायित्व होगा कि सही मार्ग सेट होना एवं सम्मुख एवं अनुमुख कॉटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित कर लेने के बाद ही गाड़ी के लोको पायलट को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करें।

(अतुल सिंह)
मसिदूइ/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के0एस0सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सा0 एवं सहायक नियम 3.49(2)(बी) के अनुपालन में स्टेशन के समस्त सिगनल कलर लाइट होने के कारण दिन एवं रात्रि में लगातार जलाये जाये। यदि लाइन क्लीयर देते समय सिगनल को प्रकाशित रखना सम्भव न हो सके तो लाइन क्लीयर देने के पूर्व स्टेशन मास्टर सा0 एवं सहायक नियम 3.68 से 3.71 तक वर्णित कार्यविधि का अनुपालन किया जाये।

ब्लाक यन्त्र विफल हो जाने पर साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 'घ' के नियम 2 से 4 एवं 7 (i)(ii), तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अवरूद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन साधारण एवं सहायक नियम 5ण09 के अनुसार किया जायेगा।

(ख) डीजल शेड से / को आने / जाने के लिये प्रदत्त डायमण्ड कॉटों को सैट करने हेतु किसी भी विफलता में जब तक इस विफलता को एस0 एण्ड टी0 द्वारा ठीक न कर दिया जाय, कोई भी संचालन इस डायमण्ड पर नहीं किया जायेगा।

6.9 ट्रालियों/मोटर ट्रालियों/सामग्री लारियों की कार्यप्रणाली –

(क) मोटर ट्राली को गाड़ियों के संचालन के लागू पूर्ण ब्लाक पद्धति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर ही संचालित किया जायेगा।

(ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली को अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है। इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये।

(ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लीयर पर जा रही हो तो आगमन सिगनलों को 'आफ' स्थिति में कर दिया जायेगा गाड़ी के पीछ आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलों को 'आफ' करने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) टोकेनलेस प्रखण्ड पर मोटर ट्राली चलाने के समय चूँकि एडवॉस स्टार्टर को 'आफ' नहीं किया जा सकता है, अतः ऐसी स्थिति में स्टेशन के इन्टरलाक समपारों को नान-इन्टरलाक मानते हुए मोटर ट्राली को प्रस्थान प्राधिकार सौंपने से पूर्व गेटमैन से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान अवश्य ही किया जाय। (सामान्य एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।)

7. लाइन अवरूद्ध होना :-

साधारणतया परिचालित लाइन में वाहनों को रखे जाने की अनुमति नहीं है। किन्तु यदि कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरूद्ध हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरूद्ध की जाय तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा :-

1. स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरूद्ध हो, उसका समुचित विवरण लाल स्याही से लिखेगा। **तथा गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करेगा।**
2. उस लाइन से सम्बन्धित कॉटों विपरीत सैट करेगा।
3. चार्ज सौंपने वाला स्टेशन मास्टर, चार्ज ग्रहण करने वाले स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा। जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा लिख नहीं दिया जाता है, चार्ज लेने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा।

(अतुल सिंह)
मसिदूइ/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के0एस0सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

4. जब परिचालित लाइन साफ हो जाय तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन से अवरोध हटा दिया गया है, उसका समुचित विवरण लिखेगा। साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखे।
- 7.1 **स्टेबुल वाहनो/वैगनो/ लोड का सिक्कोरिंग:-**
जब परिचालित/अपरिचालित लाइन वाहनधवाहनो से अवरुद्ध की जाय तों, स्टेशन पर खड़े वाहनो के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनो को सहायक नियम 5.23 में दिये अनुदेशो के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है। **वाहन/वाहनो/लोड को दोनों छोरों पर कम से कम एक-एक सेफ्टी चेन से बॉध दिया जाये तथा दोनों छोरों पर लकड़ी के दो-दो गुटके भी लगाये जाये।**
- (क) सभी वाहनो के साथ प्रदत्त बेंको को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रैक में वाहनो को अवश्य जोडा जाये। जब परिचालित लाइन पर रैक खडा हो, तो रैक में वाहनो का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनो के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा। जहाँ ब्रेक वान है, ब्रेको को दृढतापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनो के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेगे। विशेषतः तूफानी मौसम में जब रैक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरो का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड देना चाहिये।
- (ख) नये प्रकार के बोगी रैको में रोलर बियरिंग लगे हुये है और वे समतल पर भी लुढक सकते है। ये स्टाक खडा करके भी 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढकने का वैसे ही खतरा बना रहता है जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बों के 133 में 1 की ढलान पर लुढकने का खतरा रहता है। इन वैगनो को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनो पर खडा करते समय इनको सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

टिप्पणी -

- बी0ओ0एक्स0, बी0ओ0बी0एस0, बी0ओ0आई0, बी0आर0एच0 तथा कुछ नये कोचिंग वाहन रोलर बियरिंग लगे स्टाक के उदाहरण है। जब स्टेशन पर ऐसे रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक खडे (स्टेबल) हो तो, निम्नलिखित सावधानियो बरतनी आवश्यक है -
 - (क) कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाये और ताला लगाया जाये।
 - (ख) हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हे पूरी तरह अवश्य कसा जाये।
 - (ग) प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनो के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।
 - (घ) गार्ड अथवा सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में स्टेशन कर्मचारियो जैसे पोर्टर अथवा कॉटेवाला द्वारा ब्रेक परिचालित किये जाने चाहिये।
- जहाँ शंटिंग आवश्यक हो, निम्नलिखित सावधानियो बरती जायें -**
 - (क) जब अकेले रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक की शंटिंग की जा रही हो तो अधिकतम संगठन गति प्रति घंटा 5 किमी0 से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के0एस0सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

- (ख) जब रोलर बियरिंग लगे हुये एक साथ जोड में, पाँच वाहनों की शंटिंग की जा रही हो, तो अधिकतम संगठन प्रभावी गति 2.4 किमी० प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिये।
(सामान्य एवं सहायक नियम 5.23 में निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।)

8. शंटिंग

शंटिंग संबंधी नियमों के संदर्भ हेतु सामान्य एवं सहायक नियम 8.09, 8.10, 8.13, 8.14, एवं 8.15 देखे।

8.1 ब्लाक खण्ड साफ होने पर शंटिंग: (आगमन अनुमति देने से पूर्व)

- (क) प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हुये शंटिंग की अनुमति है –
- संबंधित होम सिगनल तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल आन स्थिति में हो।
 - स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो।
 - लोको पायलट को अग्रिम प्रस्थान सिगनल तथा बरेली सिटी/दोहना/भोजीपुरा साइड शंटिंग के समय अप इंटरमिडियेट स्टार्टर सिगनल को 'आन' स्थिति में पार करने एवं होम सिगनल तक शंटिंग करने हेतु लिखित अनुमति (टी-806) पर दी जाय।
- (क) एम०जी० में दोहना की ओर शंटिंग चाबी अवश्य सौंपी जाय किन्तु बरेली सिटी की ओर शंटिंग चाबी नहीं है।
- (ख) बी०जी० में भोजीपुरा तथा तथा बरेली सिटी साइड शंटिंग करने हेतु लोको पायलट को टी/806 के साथ शंटिंग चाबी भी अवश्य सौंपी जाये।
- (ख) प्रथम रोक सिगनल (होम) के बाहर शंटिंग – निम्नलिखित शर्तों के साथ शंटिंग की अनुमति है –
- संबंधित ब्लाक खण्ड को ब्लाक बैक कर दिया गया हो, तथा
 - स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो।
 - लोको पायलट को शंटिंग आदेश टी/806 जारी किया जाये।
- (क) एम०जी० में दोहना की ओर शंटिंग चाबी अवश्य सौंपी जाय किन्तु बरेली सिटी की ओर शंटिंग चाबी नहीं है।
- (ख) बी०जी० में भोजीपुरा तथा तथा बरेली सिटी साइड शंटिंग करने हेतु लोको पायलट को टी/806 के साथ शंटिंग चाबी भी अवश्य सौंपी जाये।

8.2 आती हुयी गाडी की दिशा में शंटिंग (आगमन अनुमति देने के बाद)

- (क) बाह्यतम सम्मुख कॉटो के अन्दर शंटिंग –
संबंधित सिगनलों को "आन" की स्थिति में रखते हुये शंटिंग की जा सकती है।
- (ख) अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक शंटिंग –
बाह्यतम सम्मुख कॉटों से बाहर अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हुये शंटिंग की अनुमति है:-
- होम सिगनल की दृश्यता बाधित न हो तथा
 - संबंधित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में हो, तथा
 - गाडी आने के अनुमानित समय से 10 मिनट पूर्व ऐसी शंटिंग बन्द कर दी जाये।

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

8.3 जाती हुयी गाडी के पीछे शंटिंग

प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हुये शंटिंग की अनुमति है—

- (I) जाती हुयी गाडी होम सिगनल (विपरीत दिशा) को पार कर गयी हो तथा उसकी यात्रा जारी हो।
- (II) सभी संबंधित सिगनल आन स्थिति में हो।
- (III) होम सिगनल की दृश्यता की पुष्टि कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा पैनल पर इंडिकेशन देखकर सुनिश्चित कर ली गयी हो।
- (IV) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो।
- (v) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में पार करने एवं परिस्थितियों से अवगत कराते हुये होम सिगनल तक शंटिंग करने हेतु लिखित अनुमति दी जाये।

8.4.1 शंटिंग पर प्रतिबन्ध

- (i) लाइन जो पृथक नहीं है, पर आने वाली गाड़ी के लिये जब सिगनल "आफ" कर दिये गये हो, तो उन कॉटों की ओर जिन से आने वाली गाड़ी गुजरेगी, कोई शंटिंग संचालन नहीं किया जायेगा।
- (ii) घने कोहने एवं धुन्ध में स्टेशन सेक्शन के बाहर शंटिंग की अनुमति नहीं है।

8.4.2 शंटिंग का कोई विशेष पहलू —

बरेली सिटी की ओर होम सिगनल तक शंटिंग के दौरान गेट संख्या 243/Spl तथा दोहना की ओर होम सिगनल तक शंटिंग के दौरान गेट संख्या 242/Spl, 240/C, 237/B2 का बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व शंटिंग प्रभारी का होगा।

8.5 दोहरी लाइन पर शंटिंग— लागू नहीं है।**8.6 स्टेशन यार्ड/माल यार्ड से निकलने वाली साइडिंग में शंटिंग —**

इस स्टेशन से क्लट्टरबकगंज, डीजल शेड, डी0सी0ओ0एस0 एवं वर्कशाप के लिये साइडिंग निकली है। इन साइडिंगों की कार्य विधि निम्न प्रकार है :-

8.6(क) इज्जतनगर—डीजल शेड के मध्य एम0 जी0 इंजन/लोड के संचालन हेतु निर्देश

- 1 यह इज्जतनगर यार्ड से 2.40 किमी0 की दूरी पर है। यह साइडिंग क्लट्टरबकगंज को जाने वाली लाइन से ही निकली है।
- 2 बाहर लाइन लोकेशन पर एक गुमटी बनी हुयी है। इस गुमटी पर कॉटावाला कार्यरत है तथा यह इज्जतनगर स्टेशन से टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है।
- 3 जब कभी इंजन या लोड डीजल शेड भेजना हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर — इज्जतनगर लोकेशन गुमटी पर कार्यरत कांटावाला को टेलीफोन पर इस सम्बंध में स्पष्ट निर्देश देगा तथा इसके लिये प्राइवेट नम्बर का आदान—प्रदान करेगा।
- 4 कार्यरत स्टेशन मास्टर—इज्जतनगर गेट संख्या 240/सी, 237/सी एवं सी.बी.जे.—1A/C के गेटमैन को इंजन/लोड के संचालन के संबंध में सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में निहित अनुदेशों के अनुसार बतायेगा तथा गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध समय से बन्द करने का निर्देश देगा।
- 5 कार्यरत स्टेशन मास्टर इंजन/लोड को डीजल शेड भेजने हेतु मार्ग सेट एवं लाक करने के पश्चात गेट सं0 242/Spl को बन्द एवं लाक कराकर इंजन/लोड के लिये शन्ट सिगनल "आफ" करेगा।

(अतुल सिंह)
मसिदूइ/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के0एस0सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

- 6 इंजन/लोड का लोको पायलट मार्ग में पड़ने वाले समपारों से पहले लगे स्टाप बोर्ड पर रूकेगा फिर गेट मैन द्वारा दिये जा रहे **आगे बढ़ो** सिगनल मिलने पर ही सावधानी से गेट को पार करेगा।
- 7 गेट पार करके चालक डीजल शेड गुमटी से पहले डीजल शेड जाने वाले प्रथम कॉटे से पहले लगे स्टाप बोर्ड पर रूकेगा तथा गुमटी कॉटावाला के पास प्रदत्त पंजिका में समय डालकर अपने हस्ताक्षर करेगा। चूंकि क्लटरबकगंज साइडिंग तथा डीजल शेड जाने के लिये यहाँ कांटा उपलब्ध है अतः गुमटी कॉटावाला तदानुसार कॉटों को सेट एवं पाशित करेगा तब लोको पायलट को आगे बढ़ो संकेत देगा।
इसके बाद ही लोको पायलट डीजल शेड लाइन में प्रवेश करेगा। कॉटों के दोनो ओर स्टाप बोर्ड लगे है। डीजल शेड / सी0बी0जे0 से/को आने/जाने वाला लोको पायलट इस स्टाप बोर्ड पर अवश्य रुकें।
- 8 जब कोई इंजन/लोड शेड से बाहर लाइन पर आता है तो वह गुमटी से पहले लगे स्टाप बोर्ड पर रूकेगा तथा गुमटी पर कार्यरत कॉटावाला के पास उपलब्ध पुस्तिका में समय डालकर हस्ताक्षर करेगा तब कॉटावाला कार्यरत स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना देगा तथा स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेगा। इन निर्देशों को सूचित करने में प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान किया जायेगा।
- 9 कार्यरत स्टेशन मास्टर-इज्जतनगर गेट संख्या 240/सी, 237/सी एवं सी.बी.जे.-1A/C के गेटमैन को इंजन/लोड के संचलन के संबंध में सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में निहित अनुदेशों के अनुसार प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के द्वारा बतायेगा तथा गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध समय से बन्द करने का निर्देश देगा।
- 10 गुमटी कॉटेवाला द्वारा 'आगे बढ़ो' संकेत मिलने पर चालक आगे बढ़ेगा तथा गेट सं0 CBJ.-1A/C, 237/बी2, एवं 240/सी पर लगे स्टाप बोर्ड पर रूकेगा फिर गेट मैन के आगे बढ़ो संकेत पर सावधानी से गेट को पार करेगा। इसके बाद लोको पायलट एम0जी0 शन्ट सिगनल संख्या एसएच 109 पर आकर रूकेगा तथा सीटी बजायेगा।
- 11 इस सीटी को सुनकर कार्यरत स्टेशन मास्टर कॉटों को सेट एवं लॉक करके तथा गेट सं0 242/Spl को बन्द एवं लाक कराकर सम्बन्धित शंट सिगनल को 'आफ' करके इंजन/लोड को यार्ड की निर्धारित लाइन में लेगा।

8.6(ख) बी0जी0 इंजन/लोड का इज्जतनगर-डीजल शेड के मध्य संचालन :-

1. इज्जतनगर-डीजल शेड के मध्य **इज्जतनगर-दोहना / भोजीपुरा** ब्लाक खण्ड में गेट संख्या 237/B2 एवं अप एडवॉस स्टार्टर सिगनल के मध्य से बी0 जी0 डायमण्ड कासिंग का प्रावधान किया गया है। इसकी सैटिंग कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन पैनल से की जायेगी।
2. कार्यरत स्टेशन मास्टर-इज्जतनगर डीजल शेड को / से किसी भी बी0 जी0 इंजन / लोड के संचलन के लिये विशेष रूप से उपरोक्त पैरा 8.6 (क) के मद सं0 (2), (3), (4), (6), (8), (9) में वर्णित प्रक्रिया को अपनाते हुए गेट संख्या 242/Spl, 240/सी, 237/B2 पर कार्यरत गेटमैन को संचलन की सूचना देगा। कार्यरत गेटमैन सम्बन्धित गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द एवं लाक करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर को पैनल पर गेट बन्द होने का इंडिकेशन मिल जाने के बाद आवश्यकतानुसार शन्ट सिगनल को आफ किया जायेगा।

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के0एस0सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

3. डीजल शेड से / को किसी भी संचलन से पूर्व कार्यरत स्टेशन मास्टर/इज्जतनगर मार्ग में पड़ने वाले गेट संख्या तथा CBJ-1A/C पर कार्यरत गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशानुसार संचलन की सूचना देगा तथा गेट बन्द एवं लाक कराना सुनिश्चित करेगा।
4. डीजल शेड गुमटी पर कार्यरत कौटावाला से डीजल शेड से इंजन/लोड के आने की सूचना प्राप्त होने पर स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करके कि **इज्जतनगर-दोहना / भोजीपुरा** ब्लाक खण्ड में कोई गाड़ी नहीं है, डायमण्ड कौटों को पैनल से सैट करेगा। डीजल शेड से इंजन / लोड के आते समय चालक गेट सं० CBJ-1A/C के शन्ट सिगनल से पहले रुके। जब डायमण्ड कौटा सैट व लाक हो जाय तथा शन्ट सिगनल आफ हो जाय तब इंजन / लोड का लोको पायलट गेट मैन के हाथ सिगनल को देखकर गेट को सावधानी पूर्वक पास करेगा।

8.6 (ग) डीजल शेड गुमटी पर कार्यरत कौटावाला के कर्तव्य –

1. कार्यरत स्टेशन मास्टर-इज्जतनगर द्वारा सूचना प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के अन्तर्गत मिलने पर स्टेशन की ओर से आने वाले इंजन/लोड को निर्देशानुसार डीजल शेड अथवा कलक्टरबकगंज साइडिंग में भेजना।
2. संचलन हेतु कौटों को वाँछित स्थिति में सैट एवं क्लैम्प पैड लाकड करना।
3. कलक्टरबकगंज/डीजल शेड से/को इंजन/लोड यदि स्टाप बोर्ड पर आकर रुकता है तो कार्यरत स्टेशन मास्टर- इज्जतनगर को सूचित करना तथा उसके निर्देशानुसार कार्य करना।
4. यदि डीजल शेड से कोई बी०जी०/एम०जी० इंजन बाहर लाइन पर आता है तो उसके लोको पायलट से बाहर लाइन पंजिका में समय व हस्ताक्षर अंकित कराकर इंजन का नम्बर बताते हुये कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करना तथा यह भी बताना कि इंजन लोड रहित है अथवा लोड सहित।
5. सभी संचालन के लिये कार्यरत स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करना तथा पंजिका में रिकार्ड करना।
6. यह ध्यान रखना कि कौटा लीवर से कोई अन्य व्यक्ति छेड-छाड़ न करे।
7. कौटों की खराबी के संबंध में कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर इज्जतनगर को सूचित करना।
8. गुमटी पर एम०जी० का एक क्लैम्प व पैडलाक प्रदत्त है।

(ग-1) डीजल शेड गुमटी व स्टेशन के मध्य संचार साधन की विफलता –

डीजल शेड व स्टेशन के मध्य संचार साधन की विफलता की स्थिति में स्टेशन मास्टर/इज्जतनगर इस ओर जाने वाले लोको पायलट को गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करने के लिये सतर्कता आदेश को दोनो दिशाओं के लिये लागू होगा, जारी करेगा तथा डीजल शंड में कार्यरत फोन अटैण्डेण्ट को सतर्कता आदेश देने के लिये प्राइवेट नम्बर के अन्तर्गत संदेश देगा।

(ग-2) एम०जी० लोड का वर्क शाप तथा डी०सी०ओ०एस० साइडिंग लाइनों पर प्लेसमेण्ट/विदडाल की कार्य विधि

1. वर्क शाप/डी०सी०ओ०एस० में प्लेसमेण्ट अथवा विदडाल करने के लिये कार्यरत स्टेशन मास्टर प्रभारी इंचार्ज वर्कशाप/डी०सी०ओ०एस० से फोन पर बात करें तथा भेजे जाने वाले लोड के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण बतायें।
2. कार्यरत स्टेशन मास्टर एम०जी० लोड को भेजे जाने से पूर्व एम०जी०/बी०जी० डायमण्ड कौटों को पैनल से सैट करें। तथा शन्ट सिगनल एसएच 94 को आफ करें। शन्ट सिगनल की विफलता की स्थिति में कौटों को क्लैम्प पैडलाक किया जाय।

(अतुल सिंह)
मसिदूइ/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूइ/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

3. समपार संख्या 240/सी ट्रॉसफर पाइन्ट है, इस पर लोड को वर्कशाप/डी०सी०ओ०एस० को सौंपा जायेगा तथा ट्रॉसफर पाइन्ट के आगे होने वाले संचलन के लिये वर्कशाप/डी०सी०ओ०एस० के कर्मचारी पूर्णतया जिम्मेदार होंगे।
4. वर्कशाप/डी०सी०ओ०एस० से लोड विदड़ाल करने के लिये उनको इंजिन डिमाण्ड पर इंजिन को उपरोक्त मद संख्या 1 से 3 तक में उल्लिखित प्रक्रिया को अपनाते हुए उनको सौंपें। ट्रॉसफर पाइन्ट पर लोड को अपने अधिकार में लेने के पश्चात शंटिंग कर्मचारी कार्यरत स्टेशन मास्टर से बात करके एम०जी० मार्ग को सैट कराये। शन्ट सिगनल के आफ होने के पश्चात लोड को यार्ड में पुलिंग लेकर जायें।

(ग-3) **बी०जी० लोड का वर्कशाप में प्लेसमेन्ट / विदड़ाल की कार्य विधि :-**

1. बी०जी० लोड को वर्कशाप में प्लेस करने के लिये यार्ड की बी०जी० लाइन से लोड पुलिंग चलाने से पूर्व शंटिंग प्रभारी वर्कशाप से टेलीफोन पर सहमति प्राप्त करने के बाद कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करें। कार्यरत स्टेशन मास्टर मार्ग में पड़ने वाले समपार फाटक संख्या 242/Spl, 240/C एवं 237/B2 पर कार्यरत गेटमैन को सूचित करें एवं समपार को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द एवं लाक करायें तत्पश्चात शन्ट सिगनल आफ करके लोड को चलाये। शंटिंग प्रभारी द्वारा लोड को वर्कशाप स्टाफ को ट्रॉसफर पाइन्ट शन्ट सिगनल एसएच 55 (लाइन सं० 4 एव 5) से पूर्व सौंपें। इसके आगे शंटिंग के लिये वर्कशाप स्टाफ उत्तरदायी होगा।

शंटिंग प्रभारी वर्क शाप से सूचना प्राप्त होने पर वर्क शाप से विदड़ाल किये गये लोड को पुलिंग स्थिति में ट्रॉसफर पाइन्ट शन्ट सिगनल एसएच 59 अथवा एसएच 57 डी०सी०ओ०एस० छोर पर प्राप्त करें तथा स्टेशन मास्टर से बात करके बी०जी०/एम०जी० मार्ग सैट करवायें तथा शन्ट सिगनल आफ होने पर लोड को यार्ड में पुलिंग लेकर जायें।

- नोट :-**
1. एम०जी० एवं बी०जी० लोड वर्कशाप एवं डी०सी०ओ०एस० में / से प्लेस / विदड़ाल के सम्बन्ध में यातायात शंटिंग कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये जाये। वर्कशाप / डी०सी०ओ०एस० एवं यातायात विभाग की संयुक्त मोडस ओपरेण्डि के अनुसार डी०सी०ओ०एस० में बी०जी०/एम०जी० प्लेसमेन्ट सदैव इंजिन पुशिंग तथा बी०जी० लोड वर्कशाप में प्लेसमेन्ट पुलिंग में दोहना छोर से तथा विदड़ाल डी०सी०ओ०एस० छोर से पुलिंग में होगा।
 2. बी०जी० नान-रनिंग लाइन संख्या 4 व 5 वर्कशाप के अधिकार क्षेत्र में हैं। इन पर खड़े लोड की सिक्योगि की जिम्मेदारी वर्कशाप स्टाफ की है।

8.7 **बहिर्वर्ती (आउट लेइंग) साइडिंग की कार्य विधि -**

(क) **इज्जतनगर तथा कलट्टरबक गंज के मध्य इंजन/लोड संचालन हेतु निर्देश :-**

- 1 कलट्टरबक गंज को जाने वाली लाइन से ही डीजल शेड जाने के लिये लाइन निकलती है।
- 2 कलट्टरबक गंज साइडिंग से निम्नलिखित साइडिंग भी निकलती है।
- (अ) सी०सी०आई० प्लान्ट साइडिंग
- (ब) स्क्रेप यार्ड साइडिंग
- 3 कलट्टरबक गंज साइडिंग से अन्य साइडिंगों में शंटिंग साधारण यार्ड शंटिंग मानी जायेगी।

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

- 4 कार्यरत स्टेशन मास्टर-इज्जतनगर कलक्टरबक गंज साइडिंग में लोड को भेजे जाने के सम्बन्ध में गेट सं० 242/Spl, 240/C, 237/B2 के गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशानुसार सूचित करेगा तथा गेटमैन द्वारा गेट बन्द करने के पैनल पर गेट बन्द होने का इंडिकेशन मिलेगा तथा CBJ-1A/C तथा गुमटी के कॉटावाला को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करते हुए स्पष्ट निर्देश देगा। इसके बाद सम्बन्धित शन्ट सिगनल आफ करके इंजन/लोड को जाने का निर्देश देगा। कलक्टरबक गंज साइडिंग का लोड हमेशा पुशिंग में जायेगा तथा चालक शंटिंग प्रभारी द्वारा दिये जा रहे संकेतो का पालन करेगा।
- 5 इंजन/लोड का लोको पायलट मार्ग में गेट से पहले लगे स्टापबोर्ड पर पूर्णतः रुकेगा तथा गेटमैन द्वारा 'आगे बढ़ो' सिगनल मिलने पर ही इंजन/लोड के साथ जा रहा शंटिंग जमादार लोको पायलट को आगे बढ़ने का निर्देश देगा और लोको पायलट तब सावधानी पूर्वक गेट को पार करेगा। इसके बाद डीजल शेड लोकेशन गुमटी से पहले स्टाप बोर्ड पर रुकेगा तथा डीजल शेड गुमटी पर कार्यरत कांटेवाला कांटे की सही सेटिंग व क्लैम्प पैडलाक करने के बाद ही आगे बढ़ो संकेत देगा।
- 6 चूँकि कलक्टरबकगंज साइडिंग में सिगनल नहीं लगे है। अतः लोको पायलट यहां के कॉटा संख्या 1 के पहले स्टाप बोर्ड पर रुकेगा।
- 7 शंटिंग जमादार यह संतुष्टि कर लेने के बाद ही कि जिस लाइन से इंजन/लोड पास होना है, वह साफ है तथा सभी अवरोधों से मुक्त है, कांटावाला से कॉटों को सही ढंग से सेट एवं पाशित करायेगा, तभी इंजन/लोड को आगे पायलट करेगा।
- 8 कार्य पर उपस्थित कांटेवाला शंटिंग जमादार के आदेशानुसार कॉटों को सेट करने तथा पाशित करने के साथ-साथ वाहनों को जोड़ने तथा काटने के लिये उत्तरदायी है।
- 9 साइडिंग में शंटिंग के समय कार्यरत शंटिंग जमादार सिगनल दिखाने, सही वाहनों को जोड़ने तथा काटने और आवश्यकतानुसार कॉटों की सेटिंग एवं लॉकिंग सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है।
- 10 कार्यरत स्टेशन मास्टर इंजन/लोड के साथ जाने वाले कांटेवाला को दो क्लैम्प तथा दो ताले देगा। इस संबंध में एक प्रथक रजिस्टर कॉलम बनाकर अनुरक्षित करेगा तथा उचित प्रविष्टियों करके कांटेवाला को क्लैम्प तथा ताले देने और वापस करते समय पावती के रूप में उसके हस्ताक्षर लेगा। इस रजिस्टर पर कार्यरत स्टेशन मास्टर भी अपने प्रतिहस्ताक्षर करेगा।
- 11 कार्य समाप्त होने के बाद कांटेवाला सभी सम्बन्धित काटो को उनकी सामान्य स्थिति में कर देगा।
- 12 वापिस लौटते समय भी लोको पायलट डीजल शेड गुमटी से पहले स्टाप बोर्ड पर रुकेगा तथा सीटी बजायेगा, कार्यरत कांटेवाला से हाथ सिगनल मिलने पर आगे बढ़ेगा तथा मार्ग में गेट से पहले स्टापबोर्ड पर पूर्णतः रुकेगा। गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल मिलाने पर लोको पायलट सावधानी पूर्वक फाटक को पास करेगा तथा गेट संख्या 242/Spl के पहले शंट सिगनल पर आकर रुकेगा और सीटी बजायेगा।
- 13 इसके बाद इंजन/लोड को यार्ड में लेने की कार्यवाही कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा की जायेगी।

(ख) **दुर्घटना की स्थिति में कार्यविधि –**

- (1) इंजन/लोड पर प्रभारी शंटिंग मास्टर लोको पायलट को लिखित रूप में अपनी वापसी तक इंजन/लोड को खड़ा रखने का आदेश देगा तथा इस पर पावती के रूप में लोको पायलट का हस्ताक्षर करा लेगा।

(अतुल सिंह)
मसिदूइ/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

- (2) इसके बाद शंटिंग प्रभारी स्क्रैप यार्ड में लगे टेलीफोन द्वारा इज्जतनगर में कार्यरत स्टेशन मास्टर को दुर्घटना का प्रकार तथा आवश्यक सहायता हेतु सूचना देगा। यदि सहायता इंजन की आवश्यकता हो तो वह स्वयं कलक्टरबकगंज के कॉटा संख्या 1 से पहले लगे रोक पट्ट पर आकर खड़ा होगा तथा सहायता इंजन आने पर उसके लोको पायलट को स्पष्ट बतायेगा कि दुर्घटनाग्रस्त इंजन/लोड किस दशा में तथा कहां पर है। तत्पश्चात् इंजन को पायलट करते हुये दुर्घटना स्थल तक ले जायेगा।
- (3) यदि टेलीफोन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर – इज्जतनगर से सम्पर्क नहीं हो पाता है तब वह स्वयं स्टेशन पर जायेगा तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर को लिखित रूप से दुर्घटना एवं आवश्यक सहायता के सम्बन्ध में सूचना देगा।
- (4) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस सूचना अथवा इस में की प्राप्ति पर कार्यरत गाड़ी नियंत्रक को सूचित करेगा तथा सहायता इंजन यदि आवश्यक हो एवं अपेक्षित सहायता शंटिंग मास्टर के साथ प्रभावित खण्ड में भेज देगा।
- (5) सहायता इंजन के साथ जाने वाला शंटिंग मास्टर लोको पायलट को स्पष्ट रूप से बतायेगा कि दुर्घटनाग्रस्त इंजन/लोड कहां पर तथा किस दशा में है।
- (6) शंटिंग मास्टर लाइन के सुरक्षित तथा उपयुक्त संचलन के लिये तब तक उत्तरदायी होगा तब तक कि साइडिंग से सहायता इंजन इज्जतनगर स्टेशन पर वापस न लौट आये तथा लाइन पुनः साफ न हो जाये।

9. असामान्य परिस्थितियाँ

(क) असामान्य कार्य संचालन के दौरान गाड़ियों के संचालन हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया:

- (I) ट्रेन सिगनलिंग उपकरणों के विफल हो जाने पर लाइन क्लीयर संदेश ब्लाक टेलीफोन/कन्ट्रोल टेलीफोन अथवा बी0एस0एन0एल फोन अथवा बी0एच0एफ0 सेट द्वारा ही दिया जाना चाहिये।
(सामा0 एवं सहा0नियम 14.13 से 14.25 तथा सामा0 एवं सहा0 नियम पुस्तक का परिशिष्ट 'घ' देखें)
 - (II) ब्लाक टेलीफोन अथवा बी0एस0एन0एल0 / वी0एच0एफ0 सेट फोन से लाइन क्लीयर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से सम्पर्क स्थापित हो जाने की संभावना रहती है।
- 2 (क) नियंत्रक कि माध्यम से अथवा बी0एस0एन0एल0 फोन से लाइन क्लीयर मागने वाला स्टेशन मास्टर तब यह सुनिश्चित करने के लिये कि सही स्टेशन मास्टर बोल रहा है अपने स्टेशन जहां से लाइन क्लीयर मांगा जा रहा है, पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय बतायेगा उसी प्रकार दूसरे सिरे वाला स्टेशन मास्टर भी अपने स्टेशन पर आने/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय लाइन क्लीयर मागने वाले स्टेशन मास्टर को बतायेगा।

(अतुल सिंह)
मसिदूइ/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के0एस0सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

2 (ख) बीएचएफ सेट द्वारा लाइन क्लीयर लेना/देना

बीएचएफ सेट द्वारा लाइन क्लीयर लेने/देने के समय निम्न निर्देशों का पालन अवश्य किया जायेगा।

1. बीएचएफ सेट द्वारा लाइन क्लीयर मॉगने वाला स्टेशन मास्टर पिछली तीन गाडियों का विवरण साथ में लाइन क्लीयर लेने का समय, प्राइवेट नम्बर तथा ब्लाक खण्ड अवरूद्ध एवं साफ होने का समय बतायेगा।
 2. लाइन क्लीयर तभी दिया/लिया जाये जब बीएचएफ सेट/बीएसएनएल फोन की आवाज साफ हो। बीएचएफ का प्रयोग न किया जाये यदि आवाज में इन्डेक्शन हो, डिस्टरबेन्स हो, या कम आवाज सुनाई पड रही हो।
 3. जब बीएचएफ सेट पर लाइन क्लीयर लेने / देने में कोई सन्देह है तो बीएचएम सेट का प्रयोग बन्द कर देना चाहिये। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशनमास्टर संरक्षित कार्यवाही नियमानुसार करने के लिये उत्तरदायी हैं।
 4. बीएचएफ पर केवल तीन गाडियों का लाइन क्लीयर लिया जा सकता है। तत्पश्चात् लाइन क्लीयर केवल खण्ड के यातयात निरीक्षक या सुपरवाइजरी एसएम या सुपरवाइजरी स्टेमा0 की उपस्थिति में लाइन क्लीयर लिया/ दिया जाये।
- 2 (ग) लाइन या किसी गाडी की दुर्घटना, असमान्य घटना या संचार साधनों की विफलता या व्यवधान की दशा में यह किसी आपात स्थिति में स्टेशनों के मध्य गाडियों का संचालन विशेष निर्देशानुसार होगा।

(विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम 6.01 से 6.11 देखें)

9.1 संचार साधनों की विफलता -1. संचार साधनों की पूर्ण विफलता का अर्थ है:-

सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक के परिशिष्ट 8ख' में दिये गये निम्नलिखित संचार साधनों में से किसी के द्वारा दूसरे छोर पर स्थित ब्लाक स्टेशन से सम्पर्क स्थापित करने में असफलता जैसे :-

- (क) ब्लाक उपकरण, ट्रैक सर्किट या एक्सल काउन्टर।
 - (ख) ब्लाक उपकरणों से जुड़े टेलीफोन।
 - (ग) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जुड़े स्थिर फोन यदि उपलब्ध है।
 - (घ) स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे आटो फोन एवं बी0एस0एन0एल0 फोन।
 - (ङ.) नियंत्रण दूरभाष।
 - (च) वी0एच0एफ0 सेट।
2. इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूरी तरह अवरूद्ध हो जाने पर गाडी संचालन:

किसी ब्लाक खण्ड में गाडी को सीधे भेजने से पहले निम्न के द्वारा संचार खोलना चाहिये:-

- (क) खाली इंजन (लाइट इंजन) द्वारा।
- (ख) गाडी के इंजन द्वारा।
- (ग) मोटर ट्राली के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।
- (घ) ट्राली, के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।

(अतुल सिंह)
मसिदूइ/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूइ/नि/लखनऊ

(के0एस0सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

टिप्पणी – संचार खोलने के लिये पूरी गाडी नहीं भेजनी चाहिये।

3. संचार खोलने के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी –

क्रम	प्रेषण छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर	प्राप्त छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर
1.	संचार खोलने के लिये जा रहे इंजन के चालक या ट्राली के प्रभारी को निर्धारित प्रपत्र टी/बी 602 इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित होने पर संचार साधन चालू करने के लिये प्राधिकार सौपा जायेगा जिसमें निम्नलिखित समावेशित होगा :-	निर्धारित सीटी कोड को सुनने पर या आगमन सिगनल को टेक आफ करने की सूचना मिलने पर आगमन सिगनलों को टेक आफ करेगा या लिखित प्राधिकार टी-369,(3बी) भेजकर वाहन को पायलट करते हुये अन्दर आने देगा। अन्दर आने पर चालक/प्रभारी से टी/बी 602 और टी/ई 602 प्राप्त करेगा।
(क)	लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार	
(ख)	सतर्कता आदेश जिसमें वह गति अंकित होगी जिस पर प्रभावित ब्लॉक खण्ड में इंजन या स्वनोदित वाहन चल सकता है।	
क्रम	प्रेषण छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर	प्राप्त छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर
(ग)	शंटिंग लिमिट बोर्ड को पार करने का प्राधिकार।	
(घ)	प्रभावित ब्लॉक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लॉक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश जिसमें प्रतीक्षारत गाडी के लिये लाइन क्लीयर के लिये कहा जायेगा।	
(ङ)	प्रभावित ब्लॉक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लॉक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम संशर्त लाइन क्लीयर संदेश जिसमें इंजन के खाली या किस गाडी के साथ या मोटर ट्राली के अकेले चलकर या गाडी में लादकर वापस आने के लिये अनुमति दी गयी हो।	
2.	यदि प्रेषक स्टेशन की ओर से गाडियों का फ्लो अधिक हो तो प्रतीक्षारत गाडी के पीछे जाने वाली गाडियों का लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश भी प्राधिकार टी/ई 602 पर भर कर भेजा जायेगा।	इंजन या स्वानोदित वाहन को लौटने के लिये दिशा के अनुसार संशर्त लाइन क्लीयर टिकट टी/जी 602 या टी/एच 602 दूसरे स्टेशन पर प्रतीक्षारत गाडी गाडियों के लिये संशर्त लाइन क्लीयर संदेश प्राधिकार टी/एफ 602, अपने स्टेशन से जाने वाली गाडियों के लिये लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश टी/ई 602 तथा अपने स्टेशन के शंटिंग लिमिट बोर्ड को पार करने के लिये टी 369 (3 बी) एवं खण्ड में प्रभावी सतर्कता आदेश टी 409 पर लिखकर चालक/प्रभारी को सौपे जायेगे।

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के0एस0सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

टिप्पणी –

- (क) संचार खोलने के लिये इंजन/स्वनोदित वाहन भेजने के पश्चात उसके भेजने के समय से उसके लौटने के समय तक सबसे बाहर के सम्मुख कॉटे के आगे लाइन को अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
- (ख) एक ही दिशा में 30 मिनट के अन्तराल में एक दूसरे के पीछे एक से अधिक गाड़ियाँ चल सकती हैं यदि इस मामले में बाद वाली सभी गाड़ियों के लिये अग्रिम लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो। सभी गाड़ियों के चालकों को दिशा के अनुसार सशर्त लाइन क्लीयर टिकट प्राधिकार टी/जी 602 या टी/एच 602 सौंपा जायेगा। इस प्राधिकार पर आगे जाने वाली गाड़ी और पीछे जाने वाली गाड़ियों का विवरण प्रास्थान समय के साथ अंकित किया जायेगा। जब कोई गाड़ी पीछा कर रही हो तो उसका चालक कडी निगरानी रखेगा, जब दृश्यता साफ हो तो 25 किमी० प्रति घंटा और जब दृश्यता साफ न हो तो 10 किमी० प्रति घंटा या इससे कम गति से आगे बढ़ेगा।

4. सामान्य कार्य संचालन पुनः चालू करने के लिये सावधानियाँ –

- (क) किसी भी संचार साधन के फिर से चालू हो जाने पर प्राधिकार टी/आई 602 पर संचार साधन चालू होने के संदेश का आदान प्रदान किया जायेगा।
- (ख) किसी भी तरह से संचार साधन फिर से चालू हो जाने पर यह सुनिश्चित किया जाये कि सामान्य काम-काज शुरू होने से पहले बिना लाइन क्लीयर आगे बढ़ने का प्राधिकार ले चुकी या सशर्त लाइन क्लीयर टिकट ले चुकी गाड़ी खण्ड पर न हो। ऐसे सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जो जारी किये जा चुके हो परन्तु उनके आधार पर गाड़िया संचालित न हुयी हो को रद्द कर दिया जाना चाहिये।

9.2 दोहरी लाइन पर अस्थायी रूप से इकहरी लाइन कार्य पद्धति – कुछ नहीं।**9.3 बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटना ग्रस्त गाड़ी के सहायतार्थ गाड़ियों का प्रस्थान।**

अवरोध की सही स्थिति सुनिश्चित करने के बाद प्रेषक स्टेशन का स्टेशन मास्टर आक्यूपाइड ब्लॉक सेक्शन में राहत इंजन/गाड़ी ले जाने के लिये प्राधिकार टी/ए 602 के निर्धारित फार्म पर चालक को सौंपेगा। [सहायक नियम 6.02, 6.08(i)(ii)(iii), 6.09 (ii)(iii) (1)(2)(3) देखें]

9.4 विद्युत शक्ति (पावर) की आपूर्ति व्यवस्था और सिगनलों को प्रकाशित करने के अनुदेश :

- (क) इस स्टेशन पर सिगनलों को प्रकाशित रखने के लिये इन्टीग्रेटेड पावर सप्लाय सिस्टम (IPS) का प्रावधान किया गया है जिससे सभी सिगनल लगातार प्रकाशित रहेंगे। आई०पी०एस० की मानिट्रिंग के लिये स्टेशन मास्टर के पैनल कक्ष में आडियो विजुअल आई०पी०एस० प्रकाशित बोर्ड लगाया गया है।
- (ख) आडियो विजुअल आई०पी०एस० प्रकाशित बोर्ड पर प्रकाशित सूचनाओं का विवरण तथा आई०पी०एस० की विफलता के दौरान अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली का विवरण परिशिष्ट 'ख' के पैरा 13 में दिया गया है

कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्न पंजिकाओं में आवश्यक प्रविष्टि करेंगे –

(अतुल सिंह)
मसिदूइ/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूइ/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

प्रारूप**1. व्यवसायिक विद्युत विफलता एवं जनरेटर प्रचालन :**

क्रम सं०	तिथि	IPS का चार्जिंग समय	व्यवसायिक विद्युत विफलता			जनरेटर रनिंग				टिप्पणी
			विफलता का समय	आपूर्ति का समय	कुल समय	स्टार्ट करने का समय	बन्द करने का समय	कुल समय	मीटर रीडिंग के घंटे	

2. डीजल का उपयोग :

क्रम संख्या	दिनांक	कितना डीजल प्राप्त हुआ	जनरेटर का कुल रनिंग समय	डीजल की कुल खपत	तेल	शेष डीजल तेल	टिप्पणी
-------------	--------	------------------------	-------------------------	-----------------	-----	--------------	---------

10. दृश्यता परीक्षण लक्ष्य**(क) अप छोर -**

दिन और रात्रि में अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 68 (एम0जी0) तथा एस 8 (बी0जी0) का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।

(ख) डाउन छोर -

दिन और रात्रि में डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 69 (एम0जी0) तथा एस 9 (बी0जी0) का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 3.62 (2) (क) देखें।)

11. इस स्टेशन के आवश्यक उपकरण:- परिशिष्ट ड़. देखें।**12. कोहरे के समय बुलाये जाने वाले फाग सिगनल मैनों के नाम**

कोहरे के समय फाग सिगनल मैनों के रूप में कार्यकरने वाले कर्मचारियों के नाम की सूची उनके नाम तथा पद को अंकित करते हुये, स्टेशन पर अनुरक्षित फाग सिगनल पंजिका में अलग से तैयार की जायेगी।

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के0एस0सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

13 परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट 'क'	समपार फाटको का संचालन
परिशिष्ट 'ख'	सिगनल एवं अन्तर्पाशन की पध्दति
परिशिष्ट 'ग'	टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)
परिशिष्ट 'घ'	गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य
परिशिष्ट 'ङ'	स्टेशन के आवश्यक उपस्कर
परिशिष्ट 'च'	डी0के0 स्टेशन, हाल्ट, आई0बी0एस0, आई0बी0एच0, की स्थिति
परिशिष्ट 'छ'	विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के नियम

टिप्पणी – इन नियमों को किसी भी स्थिति में सामान्य एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके या सुधार करके न पढा जाये।

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के0एस0सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'ग'

टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

“ लागू नहीं ”

परिशिष्ट "घ"**1. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अर्न्तगत स्टेशन प्रबन्धक के कर्तव्य**

- (क) स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी होता है और वह सामान्यतः स्टेशन के सही, सक्षम एवं सुरक्षित कार्य के लिये पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। कार्य क्षमता के स्तर को बनाये रखने और बढ़ाने के लिये यह उसका कर्तव्य है कि वह हर श्रेणी के कर्मचारी के मध्य अपनी उपस्थिति का आभास कराये और सद्व्यवहार बनाये रखें। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है
1. स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण।
 2. आवधिक जाँच के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि हर श्रेणी का कर्मचारी अपना काम अपने रोस्टर के अनुसार सही तथा सुरक्षित ढंग से कर रहा है।
 3. कर्मचारियों को अपने कार्यों से सम्बन्धित सभी नियमों को भलीभाँति जानकारी है, को सुनिश्चित करने के लिये स्टाफ का आवधिक परीक्षण तथा जाँच करना।
 4. कर्मचारियों को दुर्घटना से बचाव तथा कार्य को सुरक्षित एवं सही ढंग से करने हेतु शिक्षित करना।
 5. समय-समय पर दिन और रात में सिगनलो, सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय और समपारो तथा नियम पुस्तको, डायरियों, गाड़ी रजिस्टरो एवं अन्य रजिस्टरो-प्रपत्रों आदि का निरीक्षण करना।
 6. यार्ड और यार्ड उपकरणो का आवधिक निरीक्षण।
 7. मार्शलिंग यार्ड, गुड्स शेड, पार्सल कार्यालय और बुकिंग कार्यालय का आवधिक निरीक्षण।
 8. आश्वासन पंजिका और स्टेशन संचालन नियमों का रख-रखाव।
 9. सभी अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट एवं निस्तारण करना।
 10. यार्ड में किसी बदलाव की आवश्यकता को देखते हुये सामान्य कार्य में सुधार या सुरक्षित कार्य को सुनिश्चित करने के सुझावों सहित सुझाव का मार्ग और ढंग बताना।
 - (11) जब स्टेशन अधीक्षक को गाड़ी परिचालन कार्य भी करना है, तब वह सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्यों के लिये भी उत्तरदायी है।
 - (12) इस स्टेशन पर नियुक्त स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन पर होने वाले सभी कार्यों के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होने के साथ-साथ कोचिंग यार्ड और कोचिंग स्टाफ का पर्यवेक्षण विशेष रूप से करेगें।

(के0एस0सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

2. परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत स्टेशन सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य :

कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर और गाड़ियों के संचलन, आगमन एवं प्रस्थान के मामलों में प्रभारी होगा। गाड़ियों के संचलन से सम्बन्धित सभी कर्मचारी उसके आदेश और निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

1. यार्ड, कॉटों, सिगनलों, स्काच ब्लाकों, कॉटा संकेतकों, एवं अन्य संरक्षा उपकरणों, निजी संख्या पुस्तिका और सामान्य एवं असामान्य कार्य प्रणाली के लिये वॉछित सभी पुस्तकों आदि की स्थिति की जानकारी मुक्त होने वाले सहायक स्टेशन मास्टर से करें।
2. अपनी डियूटी की पारी में आने एवं जाने वाली सभी गाड़ियों के लिये आगमन अनुमति एवं प्रस्थान प्राधिकारो का देना तथा प्राप्त करना।
3. ब्लाक उपकरणों का संचालन एवं नियन्त्रण दूरभाष पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना।
4. साधारण एवं सहायक नियम तथा स्टेशन कार्य प्रणाली के अनुसार सभी गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान सुनिश्चित करना।
5. सभी सिगनल प्रचालनो का नियन्त्रण।
6. शन्टिंग प्रचालनों का पर्यवेक्षण।
7. जाने वाली गाड़ियों के लोको पायलट को जब जैसी आवश्यकता हो, सतर्कता आदेश एवं सिगनल खराबी की सूचना जारी करना।
8. स्टेशन डायरी का अनुरक्षण।
9. गोपनीय संख्या पुस्तिका तथा ग्लेज़ड केस की चाबी को व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना।
10. कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण।
11. जब स्टेशन मास्टर डियूटी पर नहीं हो, तो स्टेशन की सामान्य देख-रेख करना।

3. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत फाटकवाला के कर्तव्य

फाटकवाला के कर्तव्यों के लिये संचालन नियमो के साथ संलग्न सम्बन्धित गेट अनुदेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(के० एस० सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

4. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत काँटावाला के कर्तव्य

डियूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान एवं स्टेशन पर गाड़ियों की शान्तिंग के सम्बन्ध में दिये गये आदेशों का पूरी तरह से अनुपालन करने हेतु कार्यरत काँटावाला उत्तरदायी है। स्टेशन के कार्यों के सुरक्षित तथा त्वरित गति से करने के लिये काँटावाला को कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशों का पालन करना है। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

गाड़ियों के आगमन / प्रस्थान अथवा शान्तिंग के लिये उसके निम्न कर्तव्य होंगे :

1. मोटर काँटों की विफलता के दौरान काँटों को सैट एवं क्लैम्प पैडलाक करना।
2. सुनिश्चित करना कि लाइन सभी अवरोधों से मुक्त एवं साफ है।
3. यदि आवश्यक हो तो काँटों के पास रहकर उन्हें रक्षित करना।
4. दिन के समय एल०वी० बोर्ड तथा रात्रि में पिछली बत्ती का प्रकाश/फ्लैशर टाइप टेल लैम्प देखकर गाड़ी के पूरी आने-जाने को सुनिश्चित करना।
5. कार्यरत स्टेशन मास्टर/शान्तिंग मास्टर के दिशा निर्देश एवं गाड़ी के गार्ड के पर्यवेक्षण में गाड़ियों की शान्तिंग करना।
6. आवश्यकता पड़ने पर गाड़ियों का पायलटिंग करना।
7. कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार फाग सिगनल लगाना
8. यदि आवश्यकता हो तो स्टेशन लैम्पों को जलाना, बुझाना तथा उनकी सफाई करना।
9. उसके प्रभार में काँटों का सामान्य अनुरक्षण तथा उन्हें पत्थर की गिट्टी और धूल आदि से साफ रखना।
10. **कार्यरत स्टेशन मास्टर को तुरन्त रिपोर्ट करना :-**
 - i) सिगनल, काँटों, क्रासिंग गार्ड रेलों आदि की खराबी या क्षति के सम्बन्ध में।
 - ii) रेल की सुरक्षा अथवा कार्य में बाधा होने वाली कोई घटना जो उसकी जानकारी में आती है।
 - (iii) स्टेशन पर काटे गये खाली वाहनो की तलाशी लेना तथा उसमें कुछ पाये जाने पर स्टेशन मास्टर को अवगत कराना।
 - (iv) स्टेशन पर वाहनो को संरक्षा जंजीरों एवं ताले द्वारा सुरक्षित करना।

टिप्पणी : काँटेवाले द्वारा प्रचालित काँटों का वह पूर्ण प्रभारी तथा उन काँटों के सामान्य अनुरक्षण और पत्थर की गिट्टी एवं धूल आदि से साफ रखने के लिये उत्तरदायी है। वह कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों का पालन करेगा। यदि उसको, काँटों के परिचालन का कार्य करने के लिये लगाया जाता है तो संचलन समाप्त होने पर उन्हें पूर्व स्थिति में लायेगा। यदि उसे काँटों, स्विचों और गार्ड रेलों आदि के संचलन में कमी ज्ञात होती है या अन्य किसी ऐसी घटना जिससे सुरक्षित एवं उपयुक्त रेल कार्य में बाधा पहुँच सकती है, तो उसकी जानकारी स्टेशन मास्टर को देना।

5. शान्तिंग मास्टर के कर्तव्य :-

- 1 कार्यरत स्टेशन मास्टर के निर्देशानुसार सभी शान्तिंग संचालनों को सुचारु रूप से सम्पन्न करना
- 2 वाहनो / वैगनों कपलिंग / अपकपलिंग सही ढंग से सुनिश्चित करना
- 3 आवश्यकतानुसार काँटों को क्लैम्प पैडलाक करना
- 4 गाड़ी के उस हिस्से के साथ-साथ रहना जिसकी शान्तिंग की जा रही हो
- 5 शान्तिंग के दौरान हैण्ड सिगनल दिखाना
6. **पोर्टर के कर्तव्य :-** स्टेशन मास्टर के निर्देशानुसार गाड़ी परिचालन से सम्बन्धित कार्य करना।

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट "ड"

स्टेशन पर आवश्यक उपकरण :

इस स्टेशन पर निम्नलिखित संरक्षा उपस्कर आवश्यक रूप से रहेंगे।

1. हाथ सिगनल बत्ती — 08 बैट्री आपरेटेड
... 05 के0आयल (Gate No 237, 240, 242, 243)
2. हाथ सिगनल झण्डी — 10 हरी तथा 15 लाल
3. पटाखा सिगनल — 50
4. सुरक्षा जंजीरे — 14 तालो सहित
5. क्लैम्प — 18 तालो सहित (एम0जी0)
— 04 तालो सहित (बी0जी0)
6. अग्निशामक यंत्र — 02
7. फायर बकेट — 06
8. प्राथमिक चिकित्सा बाक्स - 01
9. लकड़ी के गुटके - 04 बी0जी0 के लिये
- 04 बी0जी0 के लिये

(के0एस0सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)
इज्जतनगर

परिशिष्ट 'च'

डी०के०स्टेशन, आई०बी०एच०,आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम

“ लागू नहीं ”

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'छ'

विद्युतीकृत खण्ड पर गाड़ियों के परिचालन के नियम

“ लागू नहीं ”

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर